खण्ड-398, अंक-3
मंगलवार, 26 आषाढ़, शक संवत् 1912
(17 जुलाई, 1990 ई0)

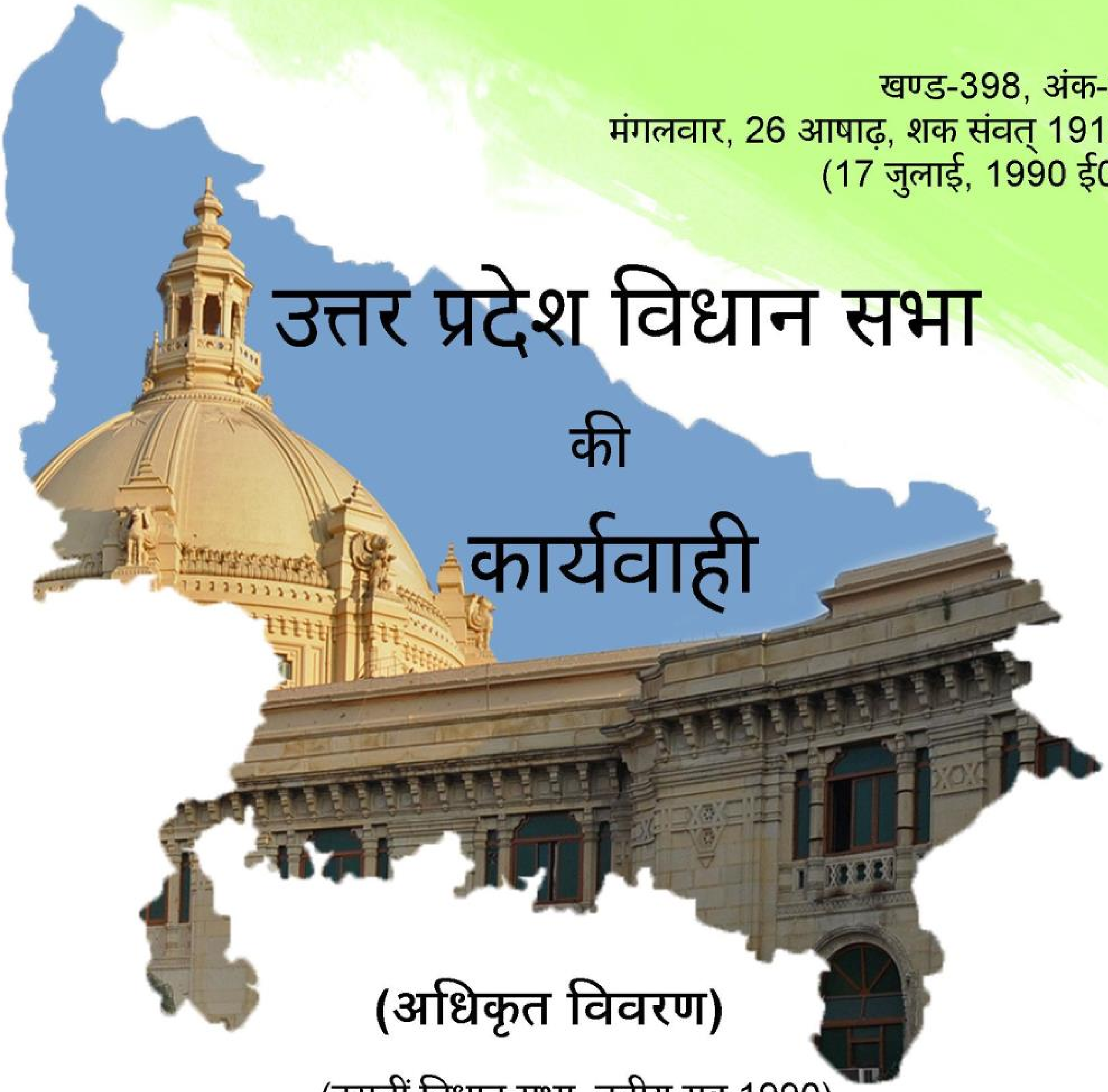

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 398 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
[illegible] सदस्य	[illegible]
प्रश्नोत्तर (प्रश्न उत्तरित माने गये)	1
किसानों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास—(जारी)	70
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	71
जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया मीरानपुर कटरा से ग्राम मरैना पर रेलवे लाइन के पास पुलिया बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
आजमगढ़ जिलान्तर्गत थाना दीदारगंज में हरिजनों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद सोनभद्र के दुद्धी-बिन्द्रासगंज मार्ग पर कनहर सेतु का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद पौड़ी में कतिपय गांवों की जमीन खिसकने से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के सम्बन्ध में सूचना	74
नगरपालिका टाण्डा, जनपद फैजाबाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के घर गिराये जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद मऊ में घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
किसानों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	75
आश्वासन के प्रश्नों की सूचनाएं	77
सदन के संचालन हेतु बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना	77
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	78
नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 18 जुलाई से 25 जुलाई, 90 तक के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन में पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसके पारण संबंधी कार्यक्रम को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	79
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—10 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या—11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या—12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि),	

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या–37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग अनुदान संख्या–46 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या–47 पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या–72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या–74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या–75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या–76 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या–77 सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या–78 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–79 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	79
वर्ष 1990-91 के बजट साहित्य के खण्ड-2 (भाग-1) की नत्थी 10 के क्रम संख्या-1 में संशोधन की सूचना	83
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (पुरःस्थापित एवं पारित)	83
सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	93
नत्थियां	94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
अनिल कुमार, श्री	रामपुर	मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	यशवंत, श्री	आजमगढ़
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	युवराज, श्री	हमीरपुर
अरुण प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर	राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	राम औतार मिश्र,	शाहजहांपुर
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	रामकरन आर्य, श्री	बस्ती
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
काशी सिंह एरी, श्री	पिथौरागढ़	राम शरन, श्री	सहारनपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री	मैनपुरी
खुर्शीद, श्री	गाजीपुर	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
गनपति सिंह, श्री	महराजगंज	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
चन्द्रभान मौर्य, श्री	आगरा	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बाराणसी	वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
देवता दीन, श्री	बहराइच	वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
धर्मपाल, श्री	बहराइच	शमेन्द्र त्यागी, श्री	मुरादाबाद
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	शशि मित्तल, श्रीमती	मेरठ
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर	शिवराज सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
परमाई लाल, श्री	हरदोई	शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं	सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़	सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	उन्नाव
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
महाबीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
महेन्द्र सिंह महरा महूभाई, श्री	पिथौरागढ़	सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
		हर फूल सिंह, श्री	सहारनपुर

बिहार विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शासन द्वारा सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना आवास उपलब्ध कराने हेतु पृथक से निगम की स्थापना का प्रस्ताव

**1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के समय उनको अपना घर देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह योजना क्या है और कब से लागू होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

वर्ष 1982 में शासन ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनको अपना घर देने की योजना बनाई थी परन्तु व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। राज्य आवास नीति 1989 में शासकीय कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से एक निगम की स्थापना का प्राविधान है। इस योजना को कार्यान्वित किये जाने हेतु एक निगम की स्थापना का प्रस्ताव है।

उक्त निगम की स्थापना के बाद ही इस योजना की प्रकृति एवं स्वरूप स्पष्ट हो सकेगा और उसके बाद ही इसे लागू किये जाने का प्रश्न उठेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन दिलाने हेतु समयावधि घटाने का मामला शासन के विचाराधीन

**2—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी सेवा में भर्ती की अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो गयी है तथा सरकारी सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष है और सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूरी पेंशन मिलती है? यदि हां, तो सरकारी सेवा भर्ती की आयु में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप क्या सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को 33 वर्ष की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे कि उसे पूर्ण पेंशन मिल सके? यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्मचारियों की पूर्ण पेंशन दिये जाने हेतु उक्त 33 वर्ष की अवधि को घटाकर 28 वर्ष करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

टिप्पणी :—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सम्बन्धित प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला स्तर के न्यायालयों में वादों को निपटाने हेतु सुविचारित प्रक्रिया

*1–श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)–

क्या न्याय मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिला स्तर के न्यायालयों में वादों (मुकदमों) के निस्तारण की दीर्घ प्रक्रिया को देखते हुए, उन वादों का निस्तारण शीघ्र किये जाने हेतु उक्त प्रक्रिया का सरलीकरण तथा उनमें निश्चित समय निर्धारित किये जाने हेतु कानून बनाये जाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

न्यायालयों में दायर वादों (मुकदमों) के शीघ्र निस्तारण में जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह सुविचारित एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के आधार पर बनायी गयी है। प्रक्रिया विलम्ब का कारण नहीं है। विलम्ब के अन्य कारण हैं।

जनपद गाजियाबाद में प्राइवेट बिल्डर्स को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन में हुए करोड़ों रुपये के घपले की जांच शासन के विचाराधीन

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट बिल्डर्स को भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन में हुए करोड़ों रुपये के घपले की जांच का काम वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारियों सर्वश्री मजूमदार एवं देवी दयाल की दो सदस्यीय समिति को वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा सौंपा गया है ? यदि हां, तो धांधलियों और अब तक की जांच का विस्तृत विवरण क्या है।

मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जांच की कार्यवाही विचाराधीन है।

राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति का अनुपालन

*3–श्री भारत सिंह रावत, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य तथा श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में शासन द्वारा कोई निश्चित नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो उक्त नीति क्या है? क्या इस वर्ष स्थानान्तरणों में उक्त नीति का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

नीति की मुख्य बातें संलग्न परिशिष्ट में अंकित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 95 पर)

[मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाहनों पर लाल एवं नीली बत्ती लगाने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति एवं पदाधिकारियों की सूची

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से व्यक्ति या पदाधिकारी अपनी गाड़ी में लालबत्ती अथवा नीली बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं ? क्या उनको यह भी ज्ञात है कि बहुत से अनधिकृत लोग लाल और नीली बत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए शासन क्या उपाय कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाहनों पर लाल और नीली बत्ती लगाने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों और पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

जी हां।

लाल/नीली बत्ती का अवैध प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के वाहनों से बत्तियों को जब्त तथा चालान करने के आदेश निर्गत किए गये हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 96 पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा सम्बन्धी मामला न्यायालय के विचाराधीन

*2–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1983 में गोमती नगर योजना के अन्तर्गत सैलेज फार्म के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था ? यदि हां, तो क्या अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा किसानों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत भूमि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा हस्तांतरित की गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सैलेज फार्म से संबंधित किसान यूनियन संघ द्वारा इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है, जो अभी लम्बित है। अंतिम निर्णय हो जाने पर ही अग्रेतर कार्यवाही विचारणीय होगी।

जनपद गाजीपुर के जमानियां में मुन्सिफी न्यायालय खोलने की मांग

*3—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियां में मुन्सिफी न्यायालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोला जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लखनऊ में फिजिकल इन्सट्रक्टर के चयन हेतु समय से भेजे गये साक्षात्कार पत्र

*4—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सीतापुर रोड, लखनऊ में दिनांक 30-11-89 को फिजिकल इन्सट्रक्टर पद हेतु ली जाने वाली परीक्षा के काल लेटर अभ्यर्थियों को उनके डाक के पते पर न भेजकर स्थायी पते पर साधारण डाक से भेजे गए जिसमें पत्र पहुंचने में विलम्ब हुआ और अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके ? यदि हां, तो इस अनियमितता के किए कौन दोषी है ? क्या सरकार वहां पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लखनऊ जो एक स्वशासी रजिस्टर्ड संस्था है, के द्वारा फिजिकल इंस्ट्रक्टर के पद पर चयन हेतु साक्षात्कार के लिए 6 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा उनके डाक के पते पर भेजे गये थे, केवल एक अभ्यर्थी, श्री भूपेन्द्र सिंह रावत को साक्षात्कार पत्र विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग एवं उपकुलसचिव द्वारा त्रुटिवश उनके स्थायी पते पर भेजा गया था। ये सभी साक्षात्कार पत्र दिनांक 15-11-89 को जारी किये गये थे ।

चूंकि साक्षात्कार तिथि से पर्याप्त समय पूर्व अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र प्रेषित किये गये, अतः परीक्षा को पुनः आयोजित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दि0 19-6-90 को अता0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी में ज्ञानपुर को जिला बनाने का प्रस्ताव

*6—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर जिला वाराणसी को जिला बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो ज्ञानपुर को अब तक जिला न बनाने का क्या कारण है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित ता0 5-4-90 का पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)—

जी नहीं ।

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु इस प्रकरण में सम्प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो जाने के कारण भारत सरकार द्वारा 30 जून, 1991 तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन प्रतिबंधित किया गया है।

जनपद गढ़वाल के कतिपय विकास खण्डों में भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के आदेश

*7—श्री भारत सिंह रावत—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में ताल क्षेत्र यमकेश्वर विकास खण्ड में भूमि अस्वाभाविक रूप से ऊपर उठ रही है व उसके बहुत बड़े क्षेत्र में दरारें पड़ गयी हैं ? यदि हां, तो भूस्खलन के खतरे से 15 गांवों को बचाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री राम शरण दास—

जिलाधिकारी गढ़वाल की सूचनानुसार जनपद गढ़वाल के विकास खण्ड यमकेश्वर के अन्तर्गत ताल घाटी की भूमि अस्वाभाविक रूप से ऊपर उठने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण भू-वैज्ञानिक, भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय उ0 प्र0 इंजीनियरिंग जियालाजी डिवीजन पौड़ी, तथा वाडिया हिमालय भू-वैज्ञानिक संस्थान देहरादून के भू-वैज्ञानिकों द्वारा करवाया गया। दरारें पड़ने की कोई आख्या भू-वैज्ञानिकों द्वारा नहीं दी गई है। आबादी वाला कोई क्षेत्र इस भू-स्खलन एवं भूमि उठान से प्रभावित नहीं हुआ है।

ताल घाटी के सबसे निकटवर्ती ग्राम बुकण्डी तथा बनातल्ला के विषय में जिलाधिकारी को निदेश दिये जा रहे हैं कि वह पुनः इन ग्रामों की स्थिति का सर्वेक्षण करा लेवें। सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने पर यथा स्थिति निर्णय लिया जावेगा।

भर्ती हेतु गठित जिला चयन समितियों की समाप्ति

*8—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद स्तर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु कुछ वर्ष पूर्व जिला चयन समितियों का गठन किया गया था, जिन्हें कुछ समय बाद भंग कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जनपद स्तर से ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने हेतु कोई कार्यवाही पुनः करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। प्रश्नगत् पदों पर भर्ती हेतु विभागीय चयन समितियों के स्थान पर जिला चयन समितियों का गठन अंतिम बार दिनांक 1-11-1984 को किया गया था।

चयन में विलम्ब तथा कतिपय अन्य व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण जिला चयन समिति की व्यवस्था दिनांक 1-7-1986 से समाप्त की गयी।

जी, नहीं। उपर्युक्त कारणों से जिला चयन समिति व्यवस्था पुनः लागू करने का सम्प्रति कोई विचार नहीं है।

सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

*9—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को एक ही अनुभाग में तीन वर्षों से अधिक अवधि तक रखे जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार की स्पष्ट नीति एवं आदेश हैं कि कोई भी अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में तीन वर्षों से अधिक समय तक नहीं रहेगा ? क्या शासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अनुभाग अधिकारियों को एक ही अनुभाग में तीन वर्ष से अधिक अवधि तक न रखने संबंधी नीति प्रथम बार सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1952/बीस-ई-1-90-600 (1)/81 दिनांक 5 मई, 1990 द्वारा लागू की गई है, परन्तु वित्त, गोपन एवं नियोजन विभाग के कतिपय अनुभागों के संबंध में संबंधित सचिव अपने विवेकानुसार किसी अनुभाग अधिकारी को विभाग में उसके लिए अनुमन्य अवधि, अधिकतम 6 वर्ष तक, उसे एक ही अनुभाग में बनाये रख सकते हैं । वर्तमान में कुल 350 अनुभाग अधिकारियों में से केवल 31 अनुभाग अधिकारी ही अपने अनुभागों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से तैनात हैं । बजट सत्र के कारण एवं संबंधित विभाग के कार्य की प्रकृति, उसकी संवेदनशीलता, महत्ता एवं वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्य आदि के संबंध में संबंधित अधिकारी के विशेष अनुभव एवं दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए इन अनुभागों में तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को जनहित में आगामी आदेशों तक उसी अनुभाग में बनाये रखा गया है ।

बलिया-बक्सर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट के विरुद्ध ट्रिब्युनल में दाखिल रिवीजन

*10—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बक्सर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसों को चलने का परमिट दिया गया है? यदि नहीं, तो बलिया से बक्सर प्राइवेट बसें किस आदेश के तहत संचालित की जा रही हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बलिया—बक्सर मार्ग जिसका अधिकांश भाग राष्ट्रीयकृत है, पर कुछ निजी बस मालिकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा परमिट स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध राज्य परिवहन अपीलेट ट्रिब्युनल में रिवीजन दाखिल किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कानपुर स्थित केन्द्रीय भण्डार को समाप्त किये जाने सम्बन्धी निर्णय

*11—श्री कल्यान सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कानपुर स्थित केन्द्रीय भण्डार बिना शासन की अनुमति के क्यों समाप्त किया जा रहा है? क्या

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ कानपुर का कोई ज्ञापन जनवरी, 1990 में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

केन्द्रीय भण्डार, कानपुर को बन्द करने का निर्णय परिवहन निगम के निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया है। ऐसे मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार निगम के निदेशक मण्डल को प्रदत्त है तथा राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

जी हां।

उक्त ज्ञापन में निहित बिन्दुओं पर विचार किया गया और विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा लिया गया उपर्युक्त निर्णय उचित पाया गया।

जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर में ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों की सरकारी देयों की वसूली का स्थगन

*12–श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में दो विकास खण्ड मनिहारी तथा जखनियां गत 28–29 मार्च को भयानक ओलावृष्टि से पूरी तरह तबाह हो गये? यदि हां, तो क्या ओला पीड़ितों को सरकार, सरकारी सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करेगी?

श्री राम शरण दास–

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के दो विकास खण्डों मनियारी तथा जखनिया में दिनांक 28/29 मार्च, 1990 को ओलावृष्टि हुई। ब्लाक मनिहारी में 125 व जखनियां में 124 ग्राम प्रभावित हुए। ब्लाक मनिहारी के 112 ग्रामों में 75% से 100% तक, 5 ग्रामों में 60 से 74% तक, 5 ग्रामों में 50 से 59% तक तथा 3 ग्रामों में 50% से कम फसल को क्षति हुई। ब्लाक जखनिया में 59 ग्रामों में 75% से 100% तक, 54 ग्रामों में 60% से 74% तक, 10 ग्रामों में 50 से 59% तथा 1 ग्राम में 50% से कम की क्षति हुई। उक्त दोनों विकास खण्डों में किसी मानव अथवा पशु की जीवन हानि नहीं हुई। उक्त दोनों विकास खण्डों के ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों में सरकारी देयों की वसूली तीन माह के लिए स्थगित कर दी गई है।

शुगर कारपोरेशन तथा कोआपरेटिव व निजी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के रेट

*13–श्री गजराज सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बतायेंगे कि शुगर कारपोरेशन तथा कोआपरेटिव मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र पकने वाली जाति का 41.00 रु0 तथा सामान्य जाति का 38.00 रु0 सीजन वर्ष 89-90 के शुरू से भुगतान कर रही है परन्तु निजी चीनी मिलें मोदी शुगर मिल्स व सिम्भावली शुगर मिल्स लि0 मोदी नगर व सिम्भावली दिनांक 18-12-89 तक वाह्य केन्द्रों पर शीघ्र पकने वाली जाति का 39.00 रु0 सीजन वर्ष 89–90 के शुरू से कर रही है तथा दिनांक 19-12-89 से 40.00 रु0 तथा सामान्य जाति के गन्ने का 37.00 रु0 क्विंटल गन्ना मूल्य दे रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

जी हां।

निजी क्षेत्र की मोदीनगर तथा सिम्भावली चीनी मिलों ने सीजन 1989-90 में वाह्य केन्द्रों पर दिनांक 18-12-89 तक तथा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा परामर्शित दर से गन्ना मूल्य का भुगतान किया है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई डोईवाला चीनी मिल का विस्तारीकरण तथा सीजनल कर्मचारियों और स्थाई श्रमिकों को देय प्रतिधारण भत्ता तथा वेतन

*14–श्री रणजीत सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम ईकाई डोईवाला में चीनी मिल विस्तारीकरण का कार्य गत वर्ष आरम्भ किया गया था? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि विस्तारीकरण में फैक्ट्री बनाने का ठेका मे0 के0 सी0 पी0 कम्पनी को दिया गया है? क्या ठेके की शर्तों के अनुसार कम्पनी को उक्त फैक्ट्री, पेराई हेतु 1989 के अन्त तक तैयार करनी थी? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त फैक्ट्री 15 मार्च, 1990 तक भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उ0 प्र0 चीनी निगम को किसानों एवं श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के निर्देश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

इस मिल ने दिनांक 21-3-90 को पेराई शुरू की।

क्षेत्र के कृषकों का गन्ना अन्यत्र व्यावर्तित किया गया तथा अवशेष गन्ना मिल द्वारा पेराई करने के बाद ही मिल बन्द किया गया। सीजनल कर्मचारियों को नियमानुसार प्रतिधारण भत्ता तथा स्थाई श्रमिकों को वेतन दिया गया।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिकूल प्रविष्टि के निस्तारण हेतु शासन की नीति

*15–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी की प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में प्रत्यावेदन की प्राप्ति पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में समय सीमा हेतु शासन की क्या नीति है? क्या सरकार ऐसे प्रत्यावेदन के एक साल तक लम्बित रहने पर प्रतिकूल प्रविष्टि को रद्द किया हुआ माने जाने की घोषणा करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु तीन माह का समय निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रदेश में सूखा व अकाल की समस्या के हल हेतु सूखा राहत योजना

*16–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में अक्सर पड़ने वाले सूखा व अकाल की समस्या का हल करने के लिए कोई व्यापक योजना राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास प्रस्तुत की जाएगी? यदि हां, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं

क्योंकि शासन के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में सूखा राहत योजना पहले से बनी हुई है, जिसमें जिला आपात कालीन आपदा परामर्शदात्री समिति के परामर्शानुसार यथा आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन में शासन के संबंधित सभी विभागों जैसे–सिंचाई, ऊर्जा, नगर विकास, कृषि, ग्राम्य विकास, क्षेत्रीय विकास, पशुधन, वन, खाद्य तथा रसद तथा राजस्व आदि विभागों का पूर्ण योगदान शासन व जिलास्तर पर रहता है व सभी विभाग अपने से सम्बन्धित कार्यों के योजनाबद्ध निष्पादन हेतु उत्तरदायी हैं।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम ईकाई, हरदोई में गन्ने का परता कम होने का कारण

*17–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई हरदोई में पिछले तीन वर्षों से चीनी की रिकवरी 10 प्रतिशत रही लेकिन इस वर्ष लाखों रुपए का नया सल्फर प्लांट लगवाने के बावजूद चीनी की रिकवरी 25 प्रतिशत ही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई हरदोई में वर्ष 1986-87, 1987-88 व वर्ष 1988-89 में चीनी का परता क्रमशः 8.23 प्रतिशत, 8.31 प्रतिशत तथा 8.68 प्रतिशत रही है तथा वर्तमान वर्ष 1989-90 में चीनी का परता 7.80 प्रतिशत रहा है। इस वर्ष 1989-90 में दोहरी गंधक प्रक्रिया भारत सरकार के आदेश संख्या जी0 एस0 आर0 902 (इ) (एस0 कमा0) शुगर दिनांक 24-6-86 के अनुपालन में लगाया गया था। गन्ने का परता गत वर्षों की अपेक्षा कम होने का मुख्य कारण कर्मचारियों की हड़ताल, यातायात व्यवस्थापकों की हड़ताल, पेराई सत्र की अवधि अधिक होना, जनपद की भूमि उसरी होने के कारण 15 अप्रैल के बाद गन्ने में चीनी की मात्रा में गिरावट, होना आदि है।

राजकीय परिवहन निगम में सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने की कार्यवाही

*18–श्री अमर मणि तथा श्री अतीक अहमद–

क्या परिवहन मंत्री यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सेवाकाल में मृत निगम के कर्मचारियों के आश्रितों को शासन की नीति एवं तद्विषयक नियमावली के प्राविधानों के अंतर्गत नियमित सेवा में नहीं लिया जा रहा है ? क्या ऐसे

आश्रितों से दैनिक वेतन पर बसों की सफाई या वर्कशाप में काम लिया जा रहा है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ? 31 दिसम्बर, 1989 तक मृतक आश्रितों के रूप में निगम में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे तथा उनमें से कितनों को नियमित नियुक्ति दे दी गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

परिवहन निगम में सेवाकाल में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने की कार्यवाही गतिशील है । अशिक्षित मृतक आश्रितों के लिये चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवायोजित करने के उद्देश्य से परिवहन निगम ने एक विस्तृत योजना दिनांक 2-1-90 से लागू की है जिसमें अशिक्षित मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियुक्ति हेतु प्राविधान किया गया है । शिक्षित मृतक आश्रितों के लिए भी समुचित प्राविधान इसी योजना में किया गया है ।

31 दिसम्बर, 1989 तक परिवहन निगम में मृतक आश्रितों के सेवायोजन हेतु 1725 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें से अब तक 853 को नियमित सेवायोजित किया गया है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को किराये में छूट

*19–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को टिकट में रियायत देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निम्न श्रेणियों में आने वाले विकलांगों को बसों में यात्रा करने पर सामान्य किराये में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 24-9-79 से प्रदान की जा रही है :–

1–जिसके एक हाथ व एक पैर न हों ।

2–जिसके दोनों हाथ न हों ।

3–जिसके दोनों पैर न हों ।

यात्रीकर, सरचार्ज, बीमाकर एवं अन्य कर सामान्य किराये की धनराशि पर लिये जाते हैं ।

*20–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

[11वें बुध में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

फर्म नेवल (कलकत्ता) प्रा0 लि0 वाराणसी को जारी विक्रीकर इलीजिबिल प्रमाण-पत्र को निरस्त करने व राजस्व की हानि के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

1–श्री मूलचन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म नेवल (कलकत्ता) प्रा0 लि0 वाराणसी को जारी बिक्रीकर इलीजिबिल प्रमाण पत्र को निरस्त करने व राजस्व की हानि के बारे में तत्कालीन

सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 170/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में ता0 19-10-89 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्म विवेक कैमिकल्स को गलत प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण बिक्रीकर राजस्व की हानि सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

2—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म विवेक कैमिकल्स को गलत रूप से मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र जारी करने के कारण बिक्रीकर राजस्व की हानि के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 172/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 19-10-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फर्म एस0 एस0 ट्रेडर्स बुलन्दशहर के पंजीयन व राजस्व हानि संबंधी बिक्रीकर कार्यालय को प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

3—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बुलन्दशहर बिक्रीकर कार्यालय में फर्म एस0 एस0 ट्रेडर्स के पंजीयन व राजस्व की हानि के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 78/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 16-9-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, परन्तु पत्र दिनांक 19-9-89 को प्राप्त हुआ था ।

संदर्भित पत्र के प्राप्त होने से पूर्व ही सम्प्रेक्षा आपत्ति के आधार पर जांचोपरान्त सर्वश्री एस0 एस0 ट्रेडर्स के मामले में राजस्व की क्षति के लिये तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी श्री ओ0 पी0 गर्ग को दिनांक 28-8-86 के आदेश द्वारा चेतावनी तथा श्री एस0 के0 सक्सेना, बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को दिनांक 14-8-86 के आदेश द्वारा निन्दनीय प्रविष्टि देते हुये उनकी दो वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोक दी गई हैं । चूंकि कार्यवाही पूर्व में हो चुकी थी अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के स्कूलों को फार्म-32 जारी किये जाने में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

4—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के पांचवें मंगल के अता0 प्र0 सं0 113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूल को वर्ष 83-84 से 88-89 तक कितने फार्म-32 कब-कब जारी किये गये और स्कूल ने क्या-क्या माल कितने-कितने रुपयों

का मंगाया? स्कूल के द्वारा की गयी बिक्री पर प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना कर व अर्थ दण्ड लगाया गया और कितना वसूल हुआ ? स्कूल को गलत रूप से फार्म जारी करने के लिये दोषी अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

झांसी के बिक्री कर अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार व आरोपों की जांच

5—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि झांसी के बिक्री कर अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-73/89 आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 16-9-89 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर जांच करायी गयी । जांचोपरान्त आरोप तथ्यहीन एवं निराधार पाये गये ।

जनपद आगरा के तहसील एत्मादपुर, ग्राम नरायच के कतिपय फर्जी रकबे की जांच तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

6—श्री किशन गोपाल—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि रकबा सं0 1242 रूपराम के नाम गांव नरायच तहसील एत्मादपुर जिला आगरा में फर्जी रकबा बढ़ाये जाने की कोई जांच परगनाधिकारी आगरा द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां, प्रश्नगत मामले में सही गाटा संख्या 1292 है । परगनाधिकारी, सदर, आगरा की जांच आख्या के अनुसार इस गाटे का क्षेत्रफल फर्जी परवाने के आधार पर अभिलेखों में 7-0-0 बीघा के स्थान पर 16-10-0 बीघा अंकित पाया गया । अपर जिला कलेक्टर (प्रशासन) आगरा के आदेश दिनांक 12-6-1989 के द्वारा गाटा संख्या-1292 का सही क्षेत्रफल 7-0-0 बीघा अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है । इस मामले में परगनाधिकारी, सदर (आगरा) की जांच आख्या के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बरेली में परिवहन व पुलिस विभाग के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

7–डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को बरेली जनपद में परिवहन व पुलिस विभाग के कारण परिवहन में हो रहे भारी घाटे के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 28-4-90 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मजिस्ट्रेट हरदोई की जिला विवाह अधिकारी के विरुद्ध प्रतिवाद करने हेतु निर्गत आदेश

8–श्री केदारनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट हरदोई ने संयुक्त सचिव अधीनस्थ न्यायालय अनुभाग न्याय उ0 प्र0 शासन को अपने पत्र दिनांक 17-4-90 के द्वारा जिला विवाह अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय बेंच लखनऊ में मुकदमा लड़ने हेतु अनुमति शासन से मांगी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

शासनादेश संख्या 4861/रिट सात-ख-612/89 दिनांक 19-6-90 के अंतर्गत मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच तथा जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को रिट याचिका के प्रतिवाद करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

9–श्री केदारनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम गोपाल मिश्र, जिला विवाह अधिकारी हरदोई के विषय में न्याय सचिव अधीनस्थ न्यायालय (अनुभाग न्याय) उत्तर प्रदेश शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा दिनांक 13-3-90 को पत्र भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

उक्त पत्र के सन्दर्भ में जिला मजिस्ट्रेट हरदोई को शासन द्वारा दिनांक 20-6-90 को समुचित निर्देश भेज दिये गये हैं ।

10–श्री केदार नाथ सिंह—

[6वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा में कतिपय अवधि में कार्यरत सहकारी कुर्क अमीनों की संख्या/नियुक्ति तथा उनके अनियमितता के विरुद्ध की गई कार्यवाही

11—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 1-7-85 को कुल कितने सहकारी कुर्क अमीन कार्यरत थे और 1-7-85 से 31-3-90 तक की अवधि में कितने और कुर्क अमीनों की नियुक्ति की गयी और 1-7-89 के पूर्व कुल कितने अमीन तहबील एवं अभिलेख लेकर फरार हैं उनके विरुद्ध जिला सहायक निबन्धक गोण्डा द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद गोण्डा में 1-7-85 तक कुल 45 सहकारी कुर्क अमीन कार्यरत थे। 1-7-85 से 31-3-90 की अवधि में 48 कुर्क अमीनों की नियुक्ति और की गई। 1-7-89 के पूर्व एक अमीन तहवील एवं अभिलेख के साथ फरार है जिसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

जनपद गोण्डा की बड़गांव नवाबगंज और उतरौला सहकारी समितियों को आवंटित एवं उनके द्वारा वितरित कपड़ों का विवरण

12—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की बड़गांव/नवाबगंज तथा उतरौला क्रय विक्रय समिति जो लीड समिति का कार्य कर रही है, अपने द्वारा उठाये गए कपड़े का आवंटन सम्बद्ध समितियों को करती है? यदि हां, तो उक्त समितियों द्वारा माह जुलाई 1989 से 31-3-90 तक की अवधि में कितना-कितना कपड़ा उठाया गया और उसमें से कितना-कितना कपड़ा किस-किस सम्बद्ध समिति को आवंटित कर दिया गया? क्या यह सही है कि उक्त लीड समितियों द्वारा उठाया गया कपड़ा सम्बद्ध समितियों को न देकर काले बाजार में बिक्री कर दिया गया है और इसकी स्पष्ट जानकारी होते हुए भी जिला सहायक निबन्धक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

गोण्डा जनपद की बड़गांव, नवाबगंज तथा उतरौला समितियों द्वारा जुलाई 1989 से 31 मार्च 1990 तक उठाये गए एवं सम्बद्ध समितियों को आवंटित/वितरित किये गए कपड़े का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—बड़गांव लीड समिति द्वारा उक्त अवधि में 9.46 लाख रु0 मूल्य का कपड़ा उठाया गया और 23 सम्बद्ध समितियों को 3.17 लाख रु0 मूल्य का कपड़ा दिया गया।

2—नवाबगंज लीड समिति द्वारा उक्त अवधि में 3.90 लाख रु0 मूल्य का कपड़ा उठाया गया और अपने से सम्बद्ध 7 समितियों को 0.81 लाख रु0 का कपड़ा दिया गया।

3—उतरौला लीड समिति द्वारा उक्त अवधि में 8.07 लाख रु0 मूल्य का कपड़ा उठाया गया और अपने से सम्बद्ध 14 समितियों को 5.70 लाख रु0 मूल्य का कपड़ा दिया गया ।

लीड समितियों द्वारा उठाया गया कपड़ा सम्बद्ध समितियों तथा अन्य संस्थाओं को ही दिया गया । कपड़ा काले बाजार में बेचे जाने की शिकायत मिलने पर विभागीय जांच करायी गई किन्तु जांच में कपड़ा काले बाजार में बेचे जाने की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के ए0 आर0 कार्यालय में कार्यरत श्री बैजनाथ लाल निरीक्षक वर्ग-2 की आय

13—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले के ए0 आर0 कार्यालय में कार्यरत श्री बैजनाथ लाल, निरीक्षक वर्ग–2 की वर्ष 1989-90 की कुल आय कितनी रही ? क्या श्री लाल उक्त अवधि में आयकर की परिधि में आते हैं? यदि आते हैं तो उनसे कितने रुपये की आयकर की वसूली की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गोण्डा जनपद में श्री बैजनाथ पाल, नाम का कोई सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 कार्यरत नहीं है बल्कि श्री बैजनाथ लाल निरीक्षक वर्ग-2 कार्यरत हैं जिनकी वर्ष 89-90 की कुल आय 28,496 रु0 रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोण्डा जनपद की महादेव किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विकास खण्ड पड़री कृपाल की जांच

14—श्री समीउल्ला खां—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोण्डा जनपद की महादेव किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विकास खण्ड पड़री कृपाल का निरीक्षण माह अक्टूबर/नवम्बर, 1989 में किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? निरीक्षण रिपोर्ट क्या है और क्या निरीक्षण रिपोर्ट जिला सहायक निबन्धक को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में महादेव किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विकास खण्ड पड़री कृपाल का निरीक्षण अपर जिला सहकारी अधिकारी (अधि0) प्रत्यादान अधिकारी द्वारा किया गया ।

निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के आशय से जिला सहायक निबन्धक द्वारा निरीक्षण कर्ता को मूलरूप में वापस कर दी गयी थी जो अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए उस पर अभी कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

श्री विलसन थामस यातायात अधीक्षक, बाराबंकी के निधनोपरान्त उनके आश्रितों की नियुक्ति का मामला

15—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री विलसन थामस, यातायात अधीक्षक, बाराबंकी का निधन वर्ष 1981 में हो गया था किन्तु अभी तक उनके स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर उनके पुत्र एडवर्ड थामस की नियुक्ति नहीं की गयी है? इसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी श्री विलसन थामस के पुत्र को यथाशीघ्र नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

मृतक के पुत्र श्री एडवर्ड थामस ने चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति हेतु अपना प्रार्थना-पत्र अप्रैल, 1987 में दिया था, किन्तु नियुक्ति पर विचार के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं कराए थे ।

इन्हें सम्बन्धित अधिकारियों ने बुलावा पत्र (काल लेटर) भी भेजा था, किन्तु ये अभी तक उनके कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं ।

इन्हें पुनः पंजीकृत पत्र भेजकर औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु बुलाया गया है ।

सहकारी गन्ना विकास समिति, सितारगंज, नैनीताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही

16—श्री राज किशोर सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति, सितारगंज, नैनीताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जिला किसान सभा, नैनीताल के सचिव श्री रामहित के नेतृत्व में दिनांक 2-1-89 को एक शिष्ट मण्डल ने तत्कालीन गन्ना विकास मंत्री से मिलकर तथ्यों से अवगत कराया था ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही की गयी और जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

तत्कालीन गन्ना विकास मंत्री से श्री रामहित के नेतृत्व में शिष्ट मण्डल द्वारा दिनांक 2-1-89 को मिलने की कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है । श्री रामहित द्वारा सहकारी गन्ना विकास समिति, सितारगंज, नैनीताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में एक ज्ञापन दिनांक 1-1-89 गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसकी जांच कराई गई ।

जांच में निम्नलिखित कर्मचारी दोषी पाये गये:–

1–श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र, तत्कालीन सचिव प्रभारी/गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) गन्ना विकास समिति, सितारगंज, नैनीताल

2–श्री राशिद हुसैन

3–श्री भुवनेश कुमार

4–श्री रोहित कुमार सामयिक लिपिक

5–श्री नुक्ता प्रसाद

6–श्री नत्थू लाल

उपर्युक्त दोषी पाये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही भी की गई ।

श्री राम नयन, ग्राम–बेलासदा, सुल्तानपुर के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में जांच तथा जुर्माना

17–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरजू पाण्डेय एम0 एल0 सी0 द्वारा श्री आदित्य कुमार दूबे, निवासी ग्राम बेलासदा, तहसील सदर, जिला सुल्तानपुर के पिता श्री रामनैन दूबे पर फर्जी तौर से 122 बी0 जा0 उ0 अधि0 के तहत की गयी उत्पीड़न की कार्यवाही एवं जुर्माना समाप्त करने के संबंध में तत्कालीन राजस्व मंत्री को सम्बोधित पत्र पर तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्रेषित आदेश संख्या 858/बी0 आई0 पी0 एम आर/89, दिनांक 28 मार्च, 1989 पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

सन्दर्भित पत्र पर परगनाधिकारी सदर से जांच करायी गयी । तदनुसार यह विदित हुआ है कि गांव सभा भूमि संख्या–121 मि0 रकबा 8 बिस्वांसी पर राम नयन पुत्र शिव नारायन निवासी ग्राम बेलासदा के द्वारा अतिक्रमण करने की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा दिनांक 2-1-87 को दी गई जिसके आधार पर मुकदमा संख्या 653 अन्तर्गत धारा–122 बी0 ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कायम हुआ । इस मुकदमे में आदेश दिनांक 31-10-88 के द्वारा उक्त राम नयन को बेदखल करने तथा 16 रुपये क्षतिपूर्ति व 3 रुपये निष्पादन शुल्क लगाने का आदेश पारित हुआ । न्यायालय की यह कार्यवाही लेखपाल की रिपोर्ट पर नियमानुसार हुई है तथा आदेश दिनांक 31-10-88 के विरुद्ध अन्य किसी सक्षम न्यायालय का निर्णय उक्त राम नयन के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ।

जनपद वाराणसी के ग्राम प्रजापतिपुर के कतिपय हरिजनों को आवंटित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन

18–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सीताराम आदि हरिजन (चमार) नि0 ग्राम प्रजापतिपुर, ग्राम सीमा चांबेपुर, तहसील भदोही, वाराणसी को आवंटित

भूमि पर कब्जा दिलाए जाने विषयक राजस्व मंत्री को सम्बोधित श्री राम सजीवन विधायक, कर्वी बांदा के पत्र दिनांक 22-2-88 के उत्तर में श्री श्याम मनोहर महेन्द्रु विशेष कार्याधिकारी के अर्द्धशा0 प0 सं0 वी–132/1-2-88 राजस्व अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 1989 में दिए गए आश्वासन के अनुसार जिलाधिकारी, वाराणसी ने जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की है ? यदि हां, तो क्या भूमि पर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा?

श्री राम शरण दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार सीताराम पुत्र अलोपी, जलेबी पुत्र चकधरन तथा जवाहिर को 5-5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु दीवानी न्यायालय के यथास्थित कायम रखने के आदेश दिनांक 31-5-89 के परिपेक्ष्य में भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका है ।

श्री राम चन्द्र हरिजन निवासी चिनहट, लखनऊ को आवंटित भूमि का कब्जा

19—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 6-4-90 श्री अकबर हुसैन दाबर, विधायक के पत्र श्री रामचन्द्र नि0 चिनहट, थाना चिनहट, लखनऊ के आवेदन-पत्र सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के आदेशानुसार संबंधित पटवारी द्वारा जमीन नपवा कर रामचन्द्र (हरिजन) नि0 चिनहट को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? श्री रामचन्द्र हरिजन को जमीन का कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

श्री राम चन्द्र हरिजन निवासी चिनहट को ग्राम प्रधान द्वारा भूमि दी गई थी तथा श्री राम चन्द्र को नियमतः भूमि आवंटित नहीं की गयी थी । इसलिए कब्जा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के बिक्रीकर कार्यालय में कतिपय भट्ठा व्यापारियों द्वारा फर्जी चालानों का लाभ लिये जाने के विरुद्ध शिकायती पत्र

20—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के सातवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0–40 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0–548 पर शेष कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इमदाद हुसैन ब्रिक वर्क्स बेलना, बिजनौर पर आरोपित बिक्रीकर में की गयी कमी

21—श्री मूलचन्द्र—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म इमदाद ब्रिक फिल्ड बेलना बिजनौर के वर्ष 1980—81 के मामले में आयुक्त बिक्रीकर द्वारा दाखिल क्रास अपील की सुनवाई एक साथ न कराने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 9077/89 मुख्य मंत्री कार्यालय में 14-6-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां; परन्तु फर्म का नाम इमदाद हुसैन ब्रिक वर्क्स, बेलना है।

बिक्रीकर अधिकारी द्वारा आरोपित कर में से निर्णयानुसार कुल रुपये 23,906.00 की कर में कमी की गई है। संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। छान-बीन प्रगति पर है।

22—श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

[7वें सत्र में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ एवं खुर्जा में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित के शिक्षण की नियमित व्यवस्था

23—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ एवं खुर्जा में क्रमशः रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित विषय पढ़ाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या अन्य पालीटेक्निक की तरह उक्त विषयों को पढ़ाने के लिए उक्त संस्थाओं में व्याख्याताओं के पद सृजित हैं तथा उक्त विषयों के शिक्षण की नियमित व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विषयों में आवश्यक पद शिक्षा सत्र 1990-91 में सृजित कराकर व्याख्याताओं की जुलाई, 1990 तक नियुक्ति करने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में व्याख्याता, फिजिक्स/केमेस्ट्री का एक पद तथा व्याख्याता, गणित के नाम से एक पद, कुल दो पद तथा सेठ गंगा सागर जाटिया पालीटेक्निक, खुर्जा में कनिष्ठ व्याख्याता, विज्ञान एवं गणित के नाम से तीन पद वेतनमान रु0 1400—2400 में सृजित हैं जिनसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित के शिक्षण की नियमित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 जी0 एन0 पाण्डेय निदेशक इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालजी लखनऊ के विरुद्ध छात्रों द्वारा कथित हड़ताल

24—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 जी0एन0 पाण्डेय, निदेशक इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी लखनऊ के विरुद्ध छात्रों ने फरवरी, 1990 में हड़ताल की थी और

उस संबंध में जांच भी करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

डा0 जी0 एन0 पाण्डेय, निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, लखनऊ के विरुद्ध फरवरी, 1990 में छात्रों द्वारा कोई हड़ताल नहीं की गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में अन्वेषक-कम-संगणक के रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति

25–श्री राम करन आर्य–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, 1988 में नियोजन सचिव के अंतर्गत राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) में अन्वेषक-कम-संगणक के लिए विज्ञापित कितने पद सामान्य एवं कितने पद अनुसूचित जाति के थे ? अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी नियुक्त किये गये और कितने पद रिक्त छोड़ दिये गये ? अनुसूचित जाति के रिक्त पद को सामान्य अभ्यर्थी के द्वारा 2-6-90 को निदेशक, सामान्य प्रशासन द्वारा राज्य अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती पर रोक के बावजूद भरे जाने का क्या कारण है ?

नियोजन मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

जुलाई, 1988 में अन्वेषक-कम-संगणक के सात पद सामान्य श्रेणी के तथा पांच पद अनुसूचित जाति के विज्ञापित किये गये थे ।

अनुसूचित जाति के चार अभ्यर्थी नियुक्त किये गये तथा एक पद उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[7वें मंगल के लिए स्थगित]

श्री वी0 पी0 मिश्र, अपर गन्ना आयुक्त के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

27–श्री हरिशंकर तिवारी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर गन्ना आयुक्त श्री वी0 पी0 मिश्र के अनियमित क्रिया कलापों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के संबंध में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने नवम्बर 1989 में शासन को कोई शिकायती पत्र भेजा है ? यदि हां, तो शासन स्तर से उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक वांछित कार्यवाही की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 तथा 87-88 को श्री मिश्र की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के पश्चात भी वर्ष 1989 में उन्हें पदोन्नति दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश से नवम्बर, 1989 में एक पत्र प्राप्त हुआ । जांच कार्यवाही आदेशित की गयी ।

जांच पूरी होने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के तहसील सोरांव, मौजा पिपरौंधा में चकबन्दी कार्य की प्रगति

28–श्री राम कुमार शुक्ला–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजा पिपरौंधा तहसील सोरांव जनपद इलाहाबाद में चकबन्दी कार्य कब प्रारम्भ हुआ तथा कब समाप्त हुआ ? क्या काश्तकारों को चक आवंटित कर दिया गया है ? क्या मा0 मंत्री जी ने 30 जून, 1990 तक चक काटने के आदेश संबंधित अधिकारियों को माह मार्च, 1990 में दिये थे ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

ग्राम पिपरौंधा, तहसील-सोरांव में दिनांक 1-10-83 से चकबन्दी कार्य प्रारम्भ किया गया था जो अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर से चक आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है । न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आपत्तियों/अपीलों के निस्तारण के उपरान्त काश्तकारों को कब्जा दिलाया जा सकता है ।

उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्री) लिपिक वर्ग में उच्चीकृत पदों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन

29–श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्ट्री) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1980 के नियम 22 के अनुसार वाराणसी कलेक्ट्रेट के लिपिकों की कोटिक्रम सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो दिनांक 1-2-90 को कलेक्ट्रेट वाराणसी में वेतनमान 1400-2300 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा पूर्ण था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये अनुसूचित जाति के कर्मचारी का प्रत्यावर्तन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, कतिपय कर्मचारियों के मध्य ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विवाद मा0 उच्च न्यायालय एवं राजस्व परिषद् में अभी विचाराधीन है, जिसके कारण कोटा पूरा नहीं किया जा सका है । चयन समिति द्वारा अनुसूचित जाति के कर्मचारी का चयन स्टाफिंग पैटर्न के फलस्वरूप उच्चीकृत पदों के लिए किया गया था । परन्तु शासन द्वारा उच्चीकृत पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की गई । जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया ।

आगरा के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का राजस्व मंत्री द्वारा कथित निरीक्षण

30—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजस्व मंत्री द्वारा आगरा में मई 1990 में सब रजिस्ट्रार के कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

31—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विकास प्राधिकरण के गठन हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक

32—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण बनाने के लिए सरकार के द्वारा क्या-क्या मानक निर्धारित हैं ? क्या यह सत्य है कि इन मानकों के विपरीत शासन ने रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव में विकास प्राधिकरण बना दिया है ? यदि हां, तो हरदोई नगर विकास प्राधिकरण बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? यह प्राधिकरण कब तक बन जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

निम्नलिखित मानक बिन्दुओं के आधार पर परीक्षणोपरान्त विकास प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में विचार किया जाता है :—

1—जनांकिकीय प्रवृत्ति ।

2—अवस्थापना संबंधी सूचनायें ।

3—व्यवसायिक संरचना ।

4—आवासीय कमी व क्षेत्रीय जनता की मांग ।

5—स्थानीय निकाय की वित्तीय स्थिति ।

6—नगर का क्षेत्रीय महत्व व उसकी भौगोलिक स्थिति ।

7—नगर की विकास क्षमतायें ।

जी नहीं ।

हरदोई में विकास प्राधिकरण के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सहकारी गन्ना समितियों को देय कमीशन का प्रतिशत

33—श्री रणजीत सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 में प्रदेश में गन्ने के किसानों को प्रति क्विन्टल गन्ना मूल्य कितना देय था तथा स0 गन्ना समितियों को प्रति क्विन्टल गन्ने की पूर्ति पर कितना कमीशन फैक्टरियों द्वारा देय था ? सत्र 1989-90 में जब सामान्य गन्ना मूल्य 38 रुपये प्रति क्विन्टल है तो क्या सहकारी गन्ना समितियों को देय कमीशन की धनराशि में वृद्धि की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

सीजन 1983-84 में प्रदेश के पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र के किसानों को रु0 21.50 प्रति कुन्टल तथा पूर्वी क्षेत्र के किसानों को रु0 20.50 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य देय था तथा उक्त वर्ष में सहकारी गन्ना समितियों को प्रति कुन्टल गन्ने की पूर्ति पर 20 पैसा कमीशन फैक्ट्रियों द्वारा देय था । वर्तमान में चीनी मिलों द्वारा सहकारी गन्ना समितियों को 50 पैसा प्रति कुन्टल कमीशन देय है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील नरैनी के विन्धवासिनी देवी बरईमानपुर को जिला योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास हेतु सम्मिलित किये जाने संबंधी पत्र

34–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी के विन्धवासिनी देवी बरईमानपुर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसे पर्यटक केन्द्र घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं किया जाता है बल्कि पर्यटन की दृष्टिकोण से विकास कार्य किया जाता है । इस स्थल के पर्यटन विकास हेतु जिलाधिकारी बांदा को जिला योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए लिखा गया है ।

गोण्डा जनपद के कतिपय सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा अनियमितता बरतने के विरुद्ध कार्यवाही

35–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष 1985 से 31-3-90 तक की अवधि में कितने सचिवों के विरुद्ध विशेष आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुयी और उसमें से कितने सचिवों के विरुद्ध कितने धन के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी ? क्या यह सही है कि ऐसे अधिकांश सचिवों को जिनके विरुद्ध उक्त शिकायतें हैं, पुनः जिला सहायक निबन्धक द्वारा नियुक्त कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि उसमें से अधिकांश सचिवों ने पूर्व की समितियों का चार्ज अब तक नहीं दिया ? क्या यह भी सही है कि पिछली समितियों की बैलेन्सशीट नहीं बन रही है और न आडिट ही हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1985 से 31-3-90 तक की अवधि में 42 सचिवों के विरुद्ध 29 विशेष आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुयी उनमें से 3 सचिवों के विरुद्ध 5,30,087.76 रु0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी ।

जी नहीं ।

6 सचिवों ने पूर्व समिति का आंशिक प्रभार नहीं दिया है ।

31-3-89 तक की समितियों की बैलेन्सशीट बन गयी है और आडिट हो रहा है ।

2 दोषी सचिवों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं और 4 सचिवों को निलम्बित किया गया ।

गोण्डा जनपद के सहकारिता विभाग में कतिपय अधिकारियों के पास लम्बित जांच आडिट रिपोर्ट

36—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के सहकारिता विभाग में 1-7-89 को कुल कितने स्पेशल आडिट रिपोर्ट जांच हेतु किन-किन अधिकारियों के पास लम्बित थे ? 1-7-89 से 31-3-90 की अवधि में किन-किन स्पेशल आडिट रिपोर्ट का अनुपालन/जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा दिया गया ? 1-4-90 को कितनी स्पेशल आडिट रिपोर्ट अनुपालन/जांच हेतु लम्बित रह गए हैं ? गोण्डा जनपद में जांच अधिकारियों द्वारा स्पेशल आडिट रिपोर्ट का अनुपालन/जांच न करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 1-7-89 को अपर जिला सहकारी अधिकारी के पास 86 तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पास 28 कुल 114 स्पेशल आडिट रिपोर्ट लम्बित थी ।

प्रश्नगत अवधि में साधन सहकारी, समिति मिटौरा, बजुर्ग, धारीघाट, शिवपुरा, इटियाथोक, दौराएर, देहनवन एवं कर्मा की स्पेशल आडिट रिपोर्ट का अनुपालन/जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की गयी ।

1-4-90 को कुल 106 आडिट रिपोर्ट अनुपालन/जांच हेतु लम्बित रह गयी हैं ।

स्पेशल आडिट रिपोर्ट का अनुपालन/जांच न करने हेतु अपर जिला सहकारी अधिकारी गोण्डा, सहायक विकास अधिकारी (सह0) पड़री कृपाल नवाबगंज, तुलसीपुर, उतरौला, इटिया थोक, बलरामपुर, झझरी, हरैया खतथरवा एवं बजीरगंज दोषी हैं ।

उक्त सभी दोषी अधिकारियों को चेतवानी दे दी गयी है एवं निर्देशित किया गया है कि अनुपालन/जांच की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करें ।

जनपद बाराबंकी से बन्दोसराय तक जाने वाली परिवहन विभाग के बसों को नियमित किये जाने की मांग

37—श्री शिव करन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च 1990 में समय सारिणी के अनुसार कितनी बसें बन्दोसराय जनपद बाराबंकी तक पहुंची कितनी रद्द हुयीं ? उनके रद्द होने का क्या कारण था ? क्या सरकार उसमें कोई सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

माह मार्च, 1990 में समय-सारिणी के अनुसार 112 अप तथा 112 डाउन ट्रिपें बन्दोसराय जनपद बाराबंकी पहुंची तथा 8 अप एवं 8 डाडन ट्रिपें रद्द हुयीं ।

वाहनों में तकनीकी खराबी एवं होली का त्योहार होने के कारण उक्त ट्रिपें रद्द हुयीं ।

बन्दोसराय आने-जाने वाली बसों को और अधिक नियमित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–डा0 दिनेश जौहरी–

[6वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त, बिक्रीकर, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र पर आख्या

39–श्री मूलचन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच के संबंध में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र स0–177/89 मुख्य मंत्री को 20-10-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या आयुक्त के विरुद्ध कोई जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती प्रकरण पर सचिव, संस्थागत वित्त विभाग की आख्या प्राप्त करके शासन ने सम्यक रूप से विचारोपरान्त उस पर कोई कार्यवाही किए जाने का औचित्य नहीं पाया ।

फर्म मैसर्स सोप वर्क्स ए/6263 ताल कटोरा, लखनऊ द्वारा बिक्रीकर में की गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

40–श्री मूलचन्द–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 133 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में 28-8-89 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी ग आगे पृष्ठ 97 पर)

41–42–श्री मूल चन्द–

[7वें मंगल के लिए स्थगित]

जनपद बलिया के दक्षिणी सरहद पर स्थित कलियाग चक मार्ग पर से पुनः हटाये गये अतिक्रमण

43–अमरमणि त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परिखरा परगना व जिला बलिया की दक्षिणी सरहद पर स्थित चक मार्ग संख्या 47 से अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 13-4-88 का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चक मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमणकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि पुनः अतिक्रमण नहीं हटवाया गया, तो क्यों ? अतिक्रमण न हटवाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास–

जी हां ।

चक मार्ग पर पुनः किए गए अतिक्रमण को भी दिनांक 28-5-90 को हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के तत्कालीन चकबन्दी लेखपाल ग्राम सभा मुस्तफाबाद सरैया के खिलाफ शिकायती पत्र पर कार्यवाही

44–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी लेखपाल ग्राम सभा मुस्तफाबाद सरैया तहसील कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध ग्रामवासियों ने शिकायती पत्र उनको दिया है तथा उक्त शिकायत की जांच दिनांक 9-5-90 को एस0 ओ0 सी0 सुल्तानपुर ने की है ? यदि हां, तो उक्त लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी हां, शिकायत की बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी सुल्तानपुर द्वारा जांच की जा रही है ।

संबंधित चकबंदी लेखपाल को सुल्तानपुर से बहराइच स्थानान्तरित कर दिया गया है । जांच का परिणाम ज्ञात होने पर ही अन्य यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के बाई पास पर परिवहन सुविधा उपलब्ध

45–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित उन्नाव बाई पास पर सभी बस रोके जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-2-90 सचिव परिवहन विभाग को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उन्नाव बाई पास पर बसें रुकवाने की कार्यवाही पहले रोकी जा रही है । यहां पर एक चैकपोस्ट भी स्थापित किया गया है । जो बसों को रोककर यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है ।

कानपुर डिपो से पुरवा-मौरांवा (उन्नाव) मार्ग पर परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग

45 (अ)–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर डिपो से पुरवा-मौरांवा के लिए उन्नाव होकर जाने वाली बस सेवाओं की अनियमितता को दूर करने विषयक मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6-3-90 जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र सं0–सी एम वि0 को0/एम-1ल/24-217/90 द्वारा की गयी है के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित मार्ग पर कानपुर डिपो द्वारा कोई संचालन नहीं किया जाता है । अतः अनियमितता दूर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

असोहा मार्ग पर वर्तमान में 4 अप 4 डाउन ट्रिप संचालित हैं ।

लखनऊ-मौरांवा पुरवा मार्ग पर कैसरबाग डिपो द्वारा नियमित रूप से संचालन किया जा रहा है ।

जनपद शाहजहांपुर में सिविल कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी (यूनियन) के कर्मचारियों का कथित भूख हड़ताल

46–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या सरकार को पता है कि जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश के सिविल न्यायालयों के चपरासियों की यूनियन अन्जुमन हिमायतें चपरासियान सिविल कोर्ट की स्थानीय इकाई ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 20-5-90 से भूख हड़ताल शुरू की है ? यदि हां, तो उसको समाप्त करने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सरयू नहर परियोजना के अधिशासी अभियंताओं द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों से सामान खरीदे जाने की शिकायत

48—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बहराइच में सरयू नहर परियोजना के सारे अधिशासी अभियंताओं द्वारा बिक्रीकर विभाग से अपंजीकृत व्यापारियों से वस्तुयें खरीदे जाने के बारे में तत्कालीन सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां के दो पत्र आयुक्त बिक्रीकर को क्रमशः 15-6-89 एवं 16-9-89 को मिले हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

अपंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदने की शिकायत अधिशासी अभियन्ता से संबंधित है, बिक्रीकर विभाग से नहीं । उक्त पत्र के द्वारा ऐसी कोई सूची नहीं भेजी गई जिससे किसी ऐसे अपंजीकृत व्यापारी के बारे में ज्ञात हो जिससे निर्धारित नियमों के अंतर्गत बिक्रीकर की वसूली की जानी हो । अतः संदर्भित पत्रों पर कोई कार्यवाही संभव नहीं हो पायी ।

बिक्रीकर में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कथित शिकायती पत्र

49—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 75 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 1443/90 मुख्य मंत्री को 24-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में सन्दर्भित माननीय सदस्य का पत्र संख्या 1443/90 उपलब्ध नहीं हुआ है, अतः उसकी प्रति प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

50—श्री मूलचन्द—

[7वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में फर्म रस्तोगी ब्रदर्स के पकड़े गये दोहरे बहीखाते के गायब होने के संबंध में शिकायती पत्र

51—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 302 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 25-3-88 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । संदर्भित पत्र में माननीय सदस्य द्वारा जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, उनके संबंध में माननीय सदस्य श्री यदुनाथ सिंह को पूर्व में विधान सभा के तृतीय सत्र 1983 के 2रे शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–137 एवं विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के 1ले मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 2रे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है । अतएव इस पर पुन: कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम प्यावली एवं आलीपुर में भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता

52—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्यावली तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में दिनांक 23-4-90 को भीषण अग्निकाण्ड से बरबाद नागरिकों/परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकार करने के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 4-5-90 का प्रश्नकर्ता का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? किस-किस अग्नि पीड़ित को कितनी-कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता स्वीकार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों? सभी अग्नि पीड़ितों को कब तक आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां । उक्त घटना से प्रभावित परिवारों में से पात्र प्रभावित परिवारों को राहत दी गई है।

प्रत्येक पात्र अग्निपीड़ित परिवार को अहैतुक सहायता एवं गृह अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई है । सहायता का विवरण संलग्न है । उपरोक्त के अतिरिक्त श्रीमती लाँग श्री, पत्नी श्री चिरंजी की आग से झुलस जाने के कारण दिनांक 10-5-90 को मृत्यु हो गयी थी, उनके वारिसान को 5000 रुपये की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 98 पर)

53—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम आलीपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में दिनांक 20-4-90 को भीषण अग्नि काण्ड से बरबाद नागरिकों/परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकार करने के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 4-5-90 का प्रश्नकर्ता का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? किस-किस अग्नि पीड़ितों को कितनी-कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता स्वीकार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सभी अग्नि पीड़ितों को कब तक आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

प्रश्नगत अग्निकांण्ड से प्रभावित सर्वश्री पन्नालाल, रामवीर एवं चरन सिंह को रु0 200 प्रति की दर से कुल 600 रु0 की अहेतुक सहायता प्रदान की गई । अतएव प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

बिक्रीकर विभाग, बरेली के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

54—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें 12 फरवरी, 90 को प्रश्नकर्ता का सेल्स टैक्स विभाग बरेली की मनमानी के खिलाफ शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र में उल्लिखित शिकायतें क्या हैं ? क्या उक्त शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । माननीय सदस्य का वर्णित पत्र 7-2-90 को प्राप्त हुआ है ।

वर्णित पत्र में मुख्यतः बिक्रीकर विभाग बरेली द्वारा की जा रही मनमानी, जनहित के कामों, रिकार्ड्स में हेराफेरी करके आदेश पारित करने संबंधी शिकायतें की गयी हैं ।

जी हां । जांचोपरान्त उल्लिखित शिकायतें तथ्यहीन एवं निराधार पायी गयीं ।

55—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[7वें गुरु में अता0 प्र0 सं0 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री वेद प्रकाश शर्मा तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक तथा श्री सुजीत बनर्जी तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

56—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश शर्मा, तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक तथा श्री सुजीत बनर्जी, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की जांच सी0 बी0 आई0 से कराये जाने के संबंध में तत्कालीन नेता जनता पार्टी का पत्र दिनांक 1-10-88 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या सी0 बी0 आई0 से प्रश्नगत भ्रष्टाचार की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

माननीय रेवती रमण सिंह विधायक के दो पत्र दिनांक 1-10-88 के पी0 सी0 एफ0 के प्रबन्ध निदेशक एवं संयुक्त प्रबन्ध निदेशक पी0 सी0 एफ0 के विरुद्ध सतर्कता विभाग एवं सी0 बी0 आई0 से जांच कराने हेतु प्राप्त हुए हैं । एक पत्र

में सी0 बी0 आई0 से जांच कराने का तथा दूसरे पत्र में सतर्कता विभाग से जांच कराने हेतु अनुरोध किया गया है ? इस मामले की जांच सचिव, सहकारिता के स्तर से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57—श्री अमरमणि त्रिपाठी—

[6वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज का सीमांकन का प्रस्ताव विचाराधीन

58—श्री अमरमणि त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महराजगंज जनपद का सीमांकन कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या तहसील नौतनवां एवं निचलौल का सीमांकन पुन: किए जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

सीमांकन का प्रस्ताव विचाराधीन है । वर्तमान जनगणना कार्य के कारण 30 जून, 1991 तक प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है, अत: वर्तमान जनगणना कार्य के समाप्ति के पश्चात ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

59—श्री राम लखन वर्मा—

[7वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी विकास संघ लि0, बाराबंकी में सचिव की तैनाती की मांग

60—श्री शिवकरन सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी विकास संघ लि0, बाराबंकी पर सचिव की तैनाती न होने से संघ की दुकानों का संचालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने रुपयों की हानि संघ को हो चुकी है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उ0 प्र0 सचिवालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधि0/कर्मचारियों का प्रतिशत

61—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वर्तमान में शासकीय सचिवालय में अनुसूचित जाति/जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के विभिन्न श्रेणियों में कितने प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? अभी तक निर्धारित कोटा पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? कोटा कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रतिशत निम्नवत् है :—

	अनु0 जाति के अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिशत)	अनु0 जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिशत)	पिछड़े वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी (प्रतिशत)
श्रेणी "क"	17·71	--	--
श्रेणी "ख"	12·80	0·44	2·69
श्रेणी "ग"	10·98	0·12	13·48
श्रेणी "घ"	25·83	0·29	20·65

जहां कोटा पूर्ण नहीं है वहां उसका कारण उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता अथवा प्रोन्नति के पदों हेतु पात्रता क्षेत्र में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का न आना रहा है।

कोटा पूर्ण कराये जाने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।

62—श्री ऊदल—

[दिनांक 10-7-90 को अता0 प्र0 सं0 134 द्वारा उत्तरित]

श्री नरेन्द्र सिंह, लिपिक, बिक्रीकर अधिकरण पीठ-2 कानपुर के विरुद्ध गबन के मामले में कार्यवाही

63—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है लखनऊ बिक्रीकर अधिकरण की पीठ-2 में गबन हो गया और लिपिक नरेन्द्र सिंह गायब हो गया तथा अभी तक पता नहीं चला है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 1222 मुख्य मंत्री को ता0 17-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रकरण वास्तव में बिक्रीकर अधिकरण पीठ-2 कानपुर से सम्बन्धित है।

श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा 1-2-87 से 2-11-88 तक के चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था अवकाश की समाप्ति पर श्री सिंह द्वारा सक्षम अधिकारी का चिकित्सा तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध प्रारम्भिक सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गयी थी परन्तु पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है। श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

आगरा बिक्रीकर कार्यालय खण्ड-3 द्वारा फर्म ट्रेडिंग कम्पनी पर बकाये धन की वसूली न किये जाने सम्बन्धी शिकायत

64—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगल के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न संख्या 156 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र सं0 304 वित्त राज्य मंत्री को ता0 25-3-88 व स्मृति पत्र सं0 1223/90 मुख्य मंत्री को ता0 17-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

गाजियाबाद बिक्रीकर कार्यालय में स्थित फर्म प्रीमियर इण्टर नेशनल इन्डिया गौशाला रोड द्वारा फर्जी फर्मों से खरीदे गये माल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

65—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगल के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न सं0 130 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 1436/90 ता0 24-4-90 को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्रीकर अधिकारी बाराबंकी द्वारा लिपिक को पूरा वेतन न दिये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

66—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी के बिक्रीकर अधिकारी ने एक लिपिक का वेतन माह दिसम्बर, 88 व जनवरी, 89 का निकाला और लिपिक को पूरा पैसा नहीं दिया तथा अधिकारी ने 90 दिन से ऊपर बकाया वेतन को अपने पास रखा ? क्या इस संबंध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 30-1-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? दोषी अधिकारी को कब दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो उसे कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

67–डा0 दिनेश जौहरी—

[8वें गुरु में अता0 प्र0 सं0 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

68–श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[दि0 19-6-90 को अता0 प्र0 सं0 115 द्वारा उत्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम सभा इटाहारी के प्रधान द्वारा बरती गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

69–श्री योगेन्द्र कुमार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा इटाहारी, विकास खण्ड हाथवन्त, तह0 जसराना, फिरोजाबाद में गाटा सं0 420 की गाडर घास की नीलामी में दिनांक 3 अगस्त, 1988 को ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितायें बरती गयीं तथा उक्त प्रकरण की जांच के उपरान्त एस0 डी0 एम0 ने उक्त प्रधान तथा उप प्रधान के दोषी पाते हुए जिलाधिकारी को उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उक्त मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

गाडर घास की कथित नीलामी की कार्यवाही दिनांक 3-8-88 को अनियमित होने के कारण दिनांक 28-2-89 को निरस्त कर पुनः नीलामी के आदेश दिए गये थे परन्तु इससे पूर्व ही उप प्रधान द्वारा घास काट लिए जाने के फलस्वरूप ग्राम सभा को 11947 रुपये की क्षति हुई, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु उनके विरुद्ध जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत दायर किया गया वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । मामले में प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 जी0 के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोप पत्र जारी किया गया था एवं तहसीलदार, जसराना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । अपेक्षित जांच आख्या प्राप्त होने पर प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में बाढ़ तथा ओले से प्रभावित कतिपय गांवों को आर्थिक सहायता

70–श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में महनन्दीपुरवा, शेखनपुरवा, विरंजूपुरवा, मोहनपुरवा, सुनारीपुरवा, कछौहिया ग्रामों में गंगा जी की बाढ़ में सन् 1988-89 में मकान कट गए थे ? क्या अभी तक नक्के मालिकों को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ? यदि हां, तो शासन कब तक उन्हें सहायता प्रदान करायेगा ?

श्री राम शरण दास—

वर्ष 1988-89 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से गंगा जी की कटान से तहसील बिलग्राम के ग्राम महनन्दी पुरवा, विरन्जू पुरवा, कछौरिया, मोहनपुरवा, मजरा कटरी, छिबरामऊ में 134 पूर्ण तथा 455 आंशिक रूप से मकान कट गये थे । शेखनपुरवा वर्ष 1988-89 में नहीं कटा था । ग्राम महनन्दी पुरवा में आंशिक रूप से क्षति-

ग्रस्त 39 मकानों के तथा कटरी विछुईया ग्राम के 12 स्वामियों को 200/-रु0 प्रति परिवार की दर से सहायता दी गई । अन्य ग्रामों में जिला प्रशासन द्वारा सहायता नहीं दी गई है । जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों द्वारा अपने मकानों का आंशिक रूप से निर्माण कर, रहने की व्यवस्था कर ली गई है तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों ने अपने मकानों की मरम्मत कर ली है । दैवी आपदा राहत का उद्देश्य तात्कालिक राहत प्रदान करना है, जिससे प्रभावित व्यक्ति/परिवार असहाय एवं भुखमरी की स्थिति में न आ जाय और अब चूंकि उक्त क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामी शरणहीन नहीं हैं, अतः उन्हें वर्ष 1988 की बाढ़ के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता प्रदान करने का औचित्य नहीं है ।

ग्राम सभा रानिकपुर फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर लगे पेड़ों को व्यक्ति विशेष को आवन्टित किये जाने की मांग

71–श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा रानिकपुर, परगना खण्डासा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज की भूमि संख्या 1078 पर दस से पन्द्रह वर्ष पुराने कई आम आदि के फलदार वृक्ष लगे हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पेड़ों को किस व्यक्ति द्वारा लगाया गया है और क्या अभिलेखों में पेड़ों को सम्बन्धित व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक दर्ज कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां, ग्राम समाज की भूमि संख्या-1078 पर 41 पेड़ शीशम, 22 पेड़ यूकेलिप्टस तथा 21 पेड़ आम 10 से 15 वर्ष पुराने स्थित हैं । उक्त पेड़ों को ग्रामवासी श्री नियाज खां पुत्र गुलाम अहमद खां द्वारा लगाया गया है । चूंकि ग्राम सभा की भूमि पर लगे पेड़ों को अभिलेखों में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने का कोई प्राविधान नहीं है इसलिए अभिलेखों में पेड़ लगाने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज, नैनीताल के बन्दियों का कार्य समय एवं पारिश्रमिक

72–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द मुक्त कैम्प में कैदियों से कितने घण्टे काम लिया जाता है तथा उसके बदले में कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ? इन्हें पेरौल पर छोड़े जाने एवं सजा माफ या कम किये जाने की शासन की क्या नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरूद प्रकाश–

सम्पूर्णानन्द शिविरों, सितारगंज, नैनीताल में बंदियों का कार्य समय 7 घंटे प्रतिदिन है। इन्हें 0.25 पैसे प्रतिदिन पारिश्रमिक के रूप में अनुमन्य है। सम्पूर्णानन्द शिविर घुर्मा (सोनभद्र) में खदानों पर कार्य करने का समय 8 घंटा निर्धारित है । इसके बदले में प्रतिकार्य दिवस पर रु0 8.50 पैसे पारिश्रमिक अनुमन्य है । यह पारिश्रमिक चूर्क सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा दिया जाता है क्योंकि पत्थर फैक्ट्री के लिए तोड़े जाते हैं ।

सम्पूर्णानन्द शिविरों में सजा काट रहे बन्दियों को वर्ष में 15 दिन का गृह अवकाश निर्धारित प्रक्रियां के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है । इन शिविरों में सजा काट रहे शिविर वासियों को एक दिन कार्य करने के बदले में एक दिन का परिहार भी मिलता है । इन बंदियों को पैरोल देने एवं सजा माफ या कम करने के संबंध में शासन की वही नीति है जो ऐसे अन्य बंदियों के लिये लागू है ।

73–श्री मूल चन्द्र–

[6वें बुध में अता0 प्र0 सं0 147 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के स्तर से अपर के अधिकारियों को विशेष वेतन देने का मामला विचाराधीन

74–श्री राजधारी–

क्या वित्त मंत्री की जानकारी में है कि सचिवालय में कार्यरत प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा अनुभाग अधिकारियों और उनके समकक्ष स्तर के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष वेतन 1-1-87 से दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी समता एवं समानता के नियम को ध्यान में रखते हुए अनुभाग अधिकारी के उच्च स्तर के सभी सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को भी 1-1-87 से विशेष वेतन दिए जाने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी स्तर से ऊपर के अधिकारियों को विशेष वेतन स्वीकृत किए जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा भू0 पू0 सदस्य विधान सभा श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश को दी गई भूमि की छान बीन

75–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या आवास विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत तत्कालीन सदस्य, विधान सभा सैय्यद जावेद अली सब्जपोश एवं उनके परिवार के लोगों की भूमि गत वित्तीय वर्ष 89-90 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने खरीदा है अथवा पट्टे पर लिया है ? यदि हां, तो क्या वह जमीन सिलिंग से सरप्लस थी और उसकी खरीद फरोख्त कानूनन अवैध है ? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर मामले की क्या शासन सतर्कता विभाग से जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास प्राधिकरण गोरखपुर ने अपनी सूर्य बिहार आवासीय योजना हेतु लगभग 11.6 एकड़ भूमि श्री सैय्यद जावेद अली व उनके परिवार के सदस्यों से क्रय करने का निर्णय दिनांक 22-7-89 को लिया था ।

उक्त भूमि के क्रय के सम्बन्ध में छान बीन की जा रही है ।

परीक्षणोपरान्त यदि आवश्यकता हुई तो जांच कराई जायेगी ।

प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को राज्यसात किये जाने की मांग

76—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग, जिस पर राज्य सरकार लगभग तीस लाख मासिक वेतन एवं भत्ते के रूप में वहन करती है, पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस संवर्ग को राज्य सात क्यों नहीं कर लेती ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

प्रभागीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को राज्यसात किये जाने के प्रकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचारोपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

वाराणसी के अधिवक्ता श्री संग्राम आदि के पत्र पर संचालक चकबन्दी के यहां विचाराधीन मामले की जांच

77—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कई अधिवक्ता श्री संग्राम वगैरह ने नि0 नं0-1772 1771, 1770 जो उप संचालन चकबन्दी वाराणसी के यहां विचाराधीन थी के बारे में प्रार्थना-पत्र दिया था जिसको प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मा0 16-3-90 को मा0 माल मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

मामले में जांच की जा रही है ।

श्री शोभ नाथ बिन्द तत्कालीन एस0 डी0 एम0 के विरुद्ध व्यापारियों के शिकायती पत्र पर जांच

78—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली जनपद के वर्तमान एस0 डी0 एम0 के खिलाफ व्यापारी आन्दोलन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर एस0 डी0 एम0 के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बरेली जनपद में कार्यरत वर्तमान किसी परगनाधिकारी के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा आन्दोलन नहीं किया जा रहा है । कुछ व्यापारियों द्वारा श्री शोभ नाथ बिन्द, तत्कालीन परगनाधिकारी, फरीदपुर के विरुद्ध आन्दोलन किया गया था तथा उनके स्थानान्तरण की मांग की गयी थी ।

श्री बिन्द के विरुद्ध व्यापारियों को धमकी देकर अवैध धन वसूल करने संबंधी शिकायतें थी ।

श्री बिन्द का स्थानान्तरण कर दिया गया तथा इस मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा करायी गयी, जिसमें श्री बिन्द, तत्कालीन परगनाधिकारी को दोषी नहीं पाया गया ।

श्री एस0 के0 वर्मा अधीक्षण अभियन्ता आवास विकास परिषद् लखनऊ की चयन समिति की संस्तुति पर प्रोन्नति

79—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या आवास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने श्री एस0 के0 वर्मा अधीक्षण अभियन्ता आवास विकास परिषद् लखनऊ के विरुद्ध गबन और पद के दुरुपयोग का आरोप पत्र शासन में दिया गया है जिसे मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0—सी0 एम0 वि0 को0/एम-1-व/566-448/90, दिनांक 19-5-90 द्वारा सचिव आवास विकास परिषद् लखनऊ को भेजा गया है, उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि अधीक्षण अभियन्ता को किन परिस्थितियों में प्रोन्नति के पद पर नियुक्त किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत पत्र दिनांक 19-5-90 प्राप्त नहीं हुआ अपितु एक पत्र 8-5-90 का प्राप्त हुआ ।

श्री एस0 के0 वर्मा को विधिवत् गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार दिनांक 24-4-90 से मुख्य अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति किया जा चुका था ।

आवास विकास परिषद् की गाजीपुर आवास योजना में पंजीकृत व्यक्तियों को भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही

80—श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् की गाजीपुर आवास योजना में वर्ष 1978-79 में जिन लोगों ने भवन अथवा भू-खण्ड हेतु पंजीकरण कराया है उन्हें कब तक भवन या भू-खण्ड आवंटित कर कब्जे दे दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

परिषद् की रजदेपुर योजना, गाजीपुर में 81 नग दुर्बल आय वर्ग, 14 नग अल्प आय वर्ग के भवन निर्माणाधीन हैं एवं 10 भू-खण्ड विकसित किये जा रहे हैं । निर्माण पूरा होने के बाद आवंटन सम्भव होगा ।

गन्ना सहकारी समिति सरदार नगर गोरखपुर के संचालक मण्डल के चुनाव कराने की मांग

81—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति सरदार नगर गोरखपुर के संचालक मण्डल का कार्य काल पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो संचालक मण्डल का चुनाव कब करा दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

संचालक मण्डल का चुनाव सारी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त यथासमय कराया जायेगा ।

दीवानी न्यायालय, लखनऊ में आरक्षण का नियमानुसार अनुपालन

82—श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी न्यायालय, लखनऊ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ? क्या सम्बन्धित विभाग द्वारा इन कर्मचारियों की पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी उक्त विभाग में आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रण है । आरक्षण के संबंध में शासन द्वारा प्रसारित आदेशों/नियमों का नियमानुसार पालन किया जा रहा है, इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दीवानी न्यायालय, लखनऊ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 608 कर्मचारी कार्यरत हैं । जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 79 तथा पिछड़ी जाति के 121 कर्मचारी हैं ।

जी हां ।

83—डा0 दिनेश जौहरी—

[6वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र के राजस्व कर्मियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कथित सहगल समिति का गठन

84—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल के पटवारी एवं कानूनगो संघ की मांगों के संबंध में और पर्वतीय मेत्र के राजस्व कर्मियों की समस्याओं पर विचार हेतु गठित सहगल समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है एवं शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम शरण दास—

कथित सहगल समिति की रिपोर्ट शासन को अभी प्राप्त नहीं हुई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 कानपुर को श्री अवधेश कुमार सिंह कुशल कारीगर की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र

85—डा0 सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 शासन ने निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 कानपुर को पत्र सं0-5025/

16-प्रा0 शि0-2-26 (ई)/89, दिनांक 16 दिसम्बर, 1989 द्वारा श्री अवधेश कुमार सिंह की नियुक्ति विस्थापित परिवार का सदस्य होने के आधार कुशल कारीगर टर्निंग या अन्य समकक्ष पद पर करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो यह नियुक्ति अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

कुशल कारीगर टर्निंग या अन्य समकक्ष पद रिक्त न होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

आगरा सिविल कोर्ट व कचहरी में अधिवक्ताओं को बैठने हेतु कमरा बनाने की मांग

86—श्री किशन गोपाल—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिवक्ताओं के लिये आगरा सिविल कोर्ट व कलक्ट्री कचहरी में बैठने हेतु कमरे बनवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकारों को शास्त्रीपुरम योजना में भवन/भूखण्ड दिये जाने का प्राविधान

87—श्री किशन गोपाल—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में पत्रकार के रहने के लिए आवास बनवाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रकारों को भवन/भूखण्ड दिये जाने हेतु प्राधिकरण की शास्त्रीपुरम् योजना में पत्रकार कालोनी का प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों हेतु पंजीकरण हो रहा है ।

88—श्री बृजेन्द्र सिंह—

[6वें बुध में अता0 प्र0 सं0 148 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त बिक्रीकर श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

89—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त, बिक्रीकर श्री हरीशचन्द्र सक्सेना के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के बारे में शिकायतकर्ता श्री एल0 वी0 वार्ष्णेय अधिवक्ता का पत्र सचिव, संस्थागत वित्त के कार्यालय में ता0 12-3-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसमें मुख्य शिकायतें क्या

है और क्या शिकायत के प्रथम व द्वितीय बिन्दुओं का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया गया ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ? क्या यह सही है कि आयुक्त ने सेवा समाप्ति के प्रतिवेदन पर प्रस्तरवार आख्या नहीं भेजी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

पत्र में मुख्य शिकायतें सेवा समाप्ति संबंधी प्रत्यावेदन पर आयुक्त द्वारा प्रस्तरवार आख्या न भेजने तथा श्री एम0 चन्द्र बिक्रीकर अधिकारी द्वारा 10,000 रु0 घूस देने आदि से संबंधित है, जिसका निस्तारण नियमानुसार समुचित विचारोपरान्त किया गया । इन शिकायतों पर अनेक बार विचार हो चुका है तथा मामला निराधार होने के कारण इसे समाप्त किया जा चुका है ।

बिक्रीकर विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

90—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि बिक्रीकर विभाग में दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के बजाय पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने के बारे में सदस्य, विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां के पत्र दिनांक 18-12-89 (प्रथम किश्त) व अन्तिम पत्र संख्या—1438 (छठी किश्त) क्रमशः मुख्य मंत्री जी को ता0 29-12-89 व ता0 8-5-90 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 18-12-89 प्राप्त हुआ है परन्तु पत्र सं0 1438 उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

प्राप्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फर्म लखानी ब्रिक फील्ड मन्झनपुर की अपील पर स्टेट द्वारा सुनवायी न कराने से लाखों रुपये के राजस्व की हुई हानि के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

91—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0—121 के संदर्भ में वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या—1225/90 ता0 17-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश से जांच कराई जा रही है ।

लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में कर निर्धारण सम्बन्धी कथित अनियमितता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

92—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में आबकारी ठेकेदारों के कर निर्धारण में एक करोड़ रुपये के राजस्व की हानि के बारे में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—1441/90 मुख्य मंत्री जी को ता0 24-4-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उपलब्ध हो जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।

आर्थिक अपराध संगठन के अनुसार आजमगढ़ की 33 कोयले की अवैध फर्मों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

93—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आर्थिक अपराध संगठन ने आजमगढ़ की 33 कोयले की फर्मों को फर्जी पाया है और इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—1944/90, मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 8-5-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

94—श्री दौलत राम (बदायूं)—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश चीनी निगम इकाई, डोईवाला, जनपद देहरादून का विस्तारीकरण

95—श्री रणजीत सिंह—

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 चीनी निगम, इकाई डोईवाला, जनपद—देहरादून का वर्ष 1989-90 में विस्तारीकरण किया गया है ? यदि हां, तो नई चीनी मिल में पुरानी चीनी मिल के कुछ पुर्जे मशीनें प्रयोग की गई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी मशीनें प्रयोग की गईं ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला (देहरादून) में टैगिंग आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जांच

96—श्री रणजीत सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र 1989-90 में सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, डोईवाला एवं देहरादून के माध्यम से उ0 प्र0 चीनी निगम, इकाई डोईवाला (देहरादून) को आपूर्ति किये गये गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (तथा अध्यावधिक संशोधित) की धारा 17(5) (क) एवं (ख) तथा उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियम (तथा अध्यावधिक संशोधित) के नियम 48(क) के उपनियम (ख) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा टैगिंग आदेश पारित किए गए थे ? यदि हां, तो उक्त इकाई द्वारा दिनांक 26-5-90 तक समितियों द्वारा उपलब्ध गन्ने के मूल्य का भुगतान टैगिंग आदेशों के अनुसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी टैगिंग आदेशों के उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करा-कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जी नहीं ।

चीनी मिल के अनुसार पेराई क्षमता, विस्तारीकरण के बाद तकनीकी समस्याओं के कारण नियमित रूप से गन्ना पेराई न होने एवं कम चीनी परता के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के कारण टैगिंग आदेशों का उल्लंघन हुआ । आदेशों का उल्लंघन करने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम गोवली में हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को अहेतुक सहायता

97—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 22-4-90 को ग्राम-गोवली, तहसील-अतरौली, जिला—अलीगढ़ में हुए भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित निर्धन नागरिकों को पर्याप्त आर्थिक अनुदान स्वीकार करने हेतु मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन, जिलाधिकारी अलीगढ़, एस0 डी0 एम0, अतरौली (अलीगढ़) को सम्बंधित दिनांक 31 मई, 1990 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अग्निपीड़ितों को कितनी कितनी धनराशि का अनुदान स्वीकार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इन अग्नि पीड़ितों को आर्थिक अनुदान कब तक स्वीकार कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

अग्निकांड से पीड़ित पात्र परिवारों को अहेतुक सहायता तथा गृह अनुदान का वितरण संलग्न तालिका के अनुसार किया गया ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 99 पर)

श्री सैयद अमीर जाफर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अलीगढ़ का शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण

98—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एस0 ए0 जफर, ए0 डी0 एम0 (वित्त एवं राजस्व) अलीगढ़ को भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर अलीगढ़ से स्थानान्तरित करने के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 7-5-90, दिनांक 21-5-90 के पत्र तथा प्रश्नकर्ता सहित जिला अलीगढ़ श्री राजेन्द्र सिंह एम0 एल0 सी0, श्री जगवीर सिंह विधायक, श्री सुरेश प्रताप सिंह विधायक, श्री राम सरन सिंह विधायक तथा श्री कृष्ण कुमार नवमान विधायक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 26-5-1990 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त ए0 डी0 एम0 (वित्त एवं राजस्व) को अलीगढ़ से स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । प्रश्न में संदर्भित तीनों पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं किन्तु दिनांक 26-5-1990 के पत्र पर केवल प्रश्नकर्ता के ही हस्ताक्षर हैं । श्री सैयद अमीर जाफर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अलीगढ़ को जनहित में अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), अलीगढ़ के पद पर स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक एवं तत्कालीन वास्तुविद, नियोजन विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

99—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरे कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ नियोजक एवं तत्कालीन वास्तुविद नियोजक रिहण्ड सर्वेक्षण खण्ड (वाराणसी) नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों की उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान एवं प्रशासनाधिकरण-1, सतर्कता आयोग द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर अब तक शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या इस मामले में अभी शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जानी शेष है ? क्या जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

विचाराधीन है ।

यह गोपनीय जांच है । अतः सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है ।

सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित नियमों के विरुद्ध विज्ञापन देने के संबंध में शिकायती पत्र पर परीक्षण

100—श्री मूल चन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-4 के उत्तर के संदर्भ में सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विधायक

श्री यदुनाथ सिंह का पत्र सं0—1045 मुख्य मंत्री को ता0 24-9-88 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक अपराध संगठन के अनुसार बाराबंकी के दो फर्जी फर्मों के विरुद्ध शिकायती पत्र

101—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आर्थिक अपराध संगठन ने बाराबंकी की दो फर्मों को फर्जी पाया है और इस संबंध में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या—1944/90 मुख्य मंत्री को ता0 8-5-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त बिक्रीकर बनाम मारवाड़ी स्टोर्स में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये निर्णय के संबंध में पत्र

102—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के पहले मंगल के लिए निर्धारित अ0 ता0 प्रश्न सं0—21 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में विधायक का पत्र सं0—4089 सचिव, संस्थागत वित्त को दिनांक 20-12-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर के मरचेण्ट हाल में आयोजित जनवाणी कार्यक्रम के संबंध में श्री यदुनाथ सिंह स0 वि0 सभा के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

103—श्री मूलचन्द—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि जुलाई, 1986 में कानपुर के मरचेन्ट हाल में आयोजित जनवाणी कार्यक्रम में माननीय वित्त राज्य मंत्री ने भाग लिया था और इस संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र सं0—1269/वित्त राज्य मंत्री को ता0 5-8-86 को एवं पत्र सं0—785 मुख्य मंत्री को ता0 11-7-88 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ के तहसील सगड़ी में आंधी एवं वर्षा से प्रभावित परिवारों को सहायता

104—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले का सगड़ी तहसील में मई, 1990 में आंधी तूफान तथा वर्षा से कितनी क्षति हुई है इसमें कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए हैं ? प्रभावित व्यक्तियों को क्या राहत प्रदान की गयी है ?

श्री राम शरण दास—

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में मई 1990 में आंधी तूफान एवं वर्षा से 2 मनुष्यों एवं 5 पशुओं की मृत्यु हुई तथा 114 भवन क्षतिग्रस्त हुए । कुल 3,18,950 रुपये की अनुमानित क्षति हुई । कुल 58 ग्राम प्रभावित हुए, जिनकी सूची संलग्न है।

प्रभावित 2 मृतकों के वारिसों को अनुग्रह सहायता 10,000/-रु0 एवं 5 पशुओं के मालिकों को अनुग्रह सहायता 4,250/-रु0 तथा 87 व्यक्तियों को 18,200/-रु0 गृह अनुदान, इस प्रकार कुल 32,450/-रु0 की सहायता राहत के रूप में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 99 पर)

श्री महेश्वर पाण्डेय स0 वि0 परिषद् का ईंट भट्टों के सेल्स टैक्स एवं लाइसेन्स संबंधी शिकायत पर कार्यवाही

105—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महेश्वर पाण्डेय एम0 एल0 सी0 का कोई पत्र दिनांक 3 मार्च, 1990, ईंट के भट्ठे के सेल टैक्स एवं लाइसेन्स विषयक, जो सचिव, वित्त विभाग उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

106—श्री दौलत राम—

[7वें मंगल के लिए स्थगित]

107—श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री—

[7वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा विकास नगर योजना सेक्टर—5 के सड़कों पर खड़ंजा की व्यवस्था

108—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा लखनऊ नगर में संचालित 'विकास नगर योजना' के सेक्टर—5 की खड़ंजायुक्त समस्त सड़कों को कब तक डामर रोड बना दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ नगर में संचालित विकास नगर योजना के सेक्टर—5 की जिन सड़कों पर खड़ंजा लगाया गया है वह परिषद् द्वारा अपनाई जा रही विशिष्टियों (स्पैसिफिकेशन्स) के अनुरूप ही है तथा इन सड़कों पर कोई डामर (प्रीमिक्सिंग) नहीं किया जाना है ।

जनपद रायबरेली के ग्राम सभा अछई में की गई चकबन्दी में अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

109—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 में जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम सभा अछई के ग्रामीणों द्वारा चकबन्दी में की गयी अनियमितताओं की जांच कराकर पुनः चकबन्दी कराये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र तत्कालीन राजस्व मंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर चकबन्दी अधिकारी महराजगंज से जांच कराई गई । अधिकांश शिकायतें चक निर्माण के संबंध में था । जांच में पाया गया कि 40 शिकायती प्रार्थना पत्रों में 28 कृषकों ने जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की जिनका निस्तारण चकबन्दी अधिकारी, महराजगंज द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 22-2-90 को कर दिया गया है ।

शेष शिकायतकर्ताओं ने सहायक चकबन्दी अधिकारी के स्तर से प्रदिष्ट चक के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी । जांच के दौरान चकबन्दी अधिकारी द्वारा शिकायत कर्ताओं को यह सुझाव दिया गया था कि वे चाहें तो प्रस्तावित चक के विरुद्ध जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर दें । इनमें से केवल श्री राम प्यारे पुत्र गजाधर द्वारा जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद सं0-2055, दिनांक 22-2-90 को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भू0 पू0 लेखपाल श्री ओम प्रकाश के भविष्य निधि का भुगतान

110—श्री सन्नू लाल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1989 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत भूतपूर्व लेखपालों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान न किये जाने के दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

जी हां, प्रश्नगत एक भूतपूर्व लेखपाल श्री ओम प्रकाश का सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान 8-12-89 को कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

111—श्री श्याम बिहारी सिंह—

[दि0 10-7-90 को अता0 प्र0 सं0 31 द्वारा उत्तरित]

बिक्रीकर विभाग के अधिकारी श्री टंडन के मरणोपरान्त जांच आदेश का निरस्तीकरण तथा सभी देयों का भुगतान

112—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के तीसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या 1070 में जांचोपरान्त किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ? क्या उक्त जानकारी सदन के पटल पर रखी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दु व उन पर संक्षिप्त आख्या संलग्न की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 101 पर)

113—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[6वें सोम में अता0 प्र0 सं0 195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तथा शासन की नीति के अनुसार आरक्षण

114—श्री दीलत राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पद जिला न्यायाधीश के अपर जनपद न्यायाधीशों के, सिविल जज, सी0 जे0 एम0 और कितने पद मुंसिफों के हैं, इनमें आरक्षित पदों की संख्या कितनी है ? और आरक्षित पदों को भरने की शासन की क्या नीति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की संख्या निम्नवत् है:—

(1)	जिला जज	63
(2)	अतिरिक्त जिला जज	417
(3)	सिविल जज	188
(4)	चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट	1
(5)	मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	62
(6)	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट	232
(7)	न्यायिक/मुंसिफ/रेलवे मैजिस्ट्रेट	559

न्यायिक सेवा नियमावली में सीधी भर्ती के पदों पर 18% अनुसूचित जाति तथा 2% जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है और लोक सेवा आयोग इसी के अनुसार भर्ती कर रहा है । शासन की भी यही नीति है ।

जनपद बाराबंकी में लखनऊ से उमापुर मार्ग पर बस चलाने की मांग

115—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी में लखनऊ से उमापुर वाया ब्योरा बस चलायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

ब्यारा-उमापुर मार्ग संचालन योग्य नहीं है ।

116—डा0 दिनेश जौहरी—

[दि0 26-6-90 को अता0 प्र0 सं0 86 द्वारा उत्तरित]

श्री देवकृष्ण पारासरी सीनियर लिपिक, गन्ना बीज उत्पादन अधिकारी कार्यालय की सेवा काल में हुई मृत्यु पर उनके आश्रित को नौकरी दिये जाने का मामला विचाराधीन

117—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि देवकृष्ण पारासरी सीनियर लिपिक के पद पर गन्ना बीज उत्पादन अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत थे और उनका देहान्त 1-1-90 को हो गया था किन्तु अभी तक इनकी पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गयी है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी श्री पारासरी की पत्नी की नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

स्व0 श्री देवकृष्ण पारासरी की पत्नी श्रीमती मंजूरानी पारासरी को उनकी योग्यतानुसार सेवा में लिये जाने हेतु मृतक-आश्रितों को नौकरी दिये जाने वाली सूची में नामांकित कर लिया गया है जो उक्त सूची के वरीयता क्रमांक-5 पर है । रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में समायोजित किया जायगा ।

वीर भूमि महोबा, हमीरपुर में वन लगाने हेतु आरक्षित भूमि का विक्रय करने वाले के खिलाफ कार्यवाही

118—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वीर भूमि महोबा जिला हमीरपुर में प्राइवेट बस स्टैण्ड के सामने बलखण्डेश्वर मंदिर के पहाड़ की 15 एकड़ जमीन, जो कि वर्ष 1985-86 में महोबा महायोजना में वृक्षारोपण हेतु आरक्षित कर दी गई थी, पर वृक्षारोपण किया गया ? क्या यह सच है कि उक्त 15 एकड़ जमीन को जो वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की गई थी कुछ इमारतेदारों द्वारा कुछ नागरिकों को बेंच दिया गया और उसमें पक्के भवन निर्माण भी हो चुके हैं ? यदि हां, तो इस अवैध निर्माण और अवैध रूप बेंची गयी जमीन के विक्रेताओं के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री राम शरण दास—

संयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा महोबा महायोजना में प्राइवेट बस स्टैण्ड के सामने बलखण्डेश्वर मन्दिर की पहाड़ की भूमि वृक्षारोपण एवं आवास हेतु आरक्षित की गयी थी, परन्तु वृक्षारोपण नहीं किया गया ।

राजस्व अभिलेखों में यह आराजी नानजेड ए0 क्षेत्र की पड़ी है तथा इसका मालिकाना हक श्री रघुनाथ प्रसाद के नाम दर्ज है । विनियमित क्षेत्र महोबा द्वारा वनीकरण भूमि क्षेत्र में अवैध मकान बनाने वालों के विरुद्ध 16 मामलों में पी0 पी0 एक्ट की धारा–4 के अन्तर्गत संयुक्त मजिस्टेड महोबा के यहां कार्यवाही चल रही है ।

119–श्री राम बचन—

[दि0 3-7-90 को अता0 प्र0 सं0 30 द्वारा उत्तरित]

श्री भरत शर्मा अधिशासी अभियन्ता गोरखपुर के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

120–श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 16-1-90 के साथ श्री भरत शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्रस्तुत करते हुये शिकायतों की जांच किसी तकनीकी प्रकोष्ठ से कराये जाने की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री राम शरण दास—

पत्र दिनांक 16-1-90 प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनगणना के कारण प्रशासनिक इकाईयों की सीमाओं में परिवर्तन पर प्रतिबन्ध

121–श्री केदार नाथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-2-90 के साथ न्याय पंचायत मंगलपुर, कतरारी व श्याम देउरवां ब्लाक परतावल तहसील व जिला महराजगंज के सभी ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये हैं जिसके द्वारा मांग की गयी है कि तीनों न्याय पंचायतों के राजस्व ग्राम गोरखपुर जनपद में सम्मिलित कर दिये जायें ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

वर्तमान में जनगणना कार्य चलने के कारण भारत सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन एवं पुनर्गठन पर 30 जून, 1991 तक प्रतिबन्ध लगा दिया है । अतः अभी कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर में निर्मित पत्रकार कालोनी में प्रयोग की गई घटिया सामग्री की जांच

122–श्री राम लखन वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर में निर्मित पत्रकार पुरम् के भवनों का निर्माण घटिया व निम्न स्तर का होने की शिकायत पत्रकारों ने उनसे जनवरी व फरवरी, 90 में की थी और नगर विकास मंत्री ने दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है । जांच के परिणाम स्वरूप यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

नये मण्डलों/जिलों/तहसीलों के सृजन के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति का गठन

123—श्री राम लखन वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे फैजाबाद जनपद में अकबरपुर को जिला बनाया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री राम शरण दास—

प्रदेश में नये मण्डलों/जिलों/तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तथा दिनांक 30 जून, 1991 तक वर्तमान जनगणना के कार्य की समाप्ति के पश्चात् ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा । 30 जून, 1991 तक जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्धित है ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ में कार्यरत श्री जे0 पी0 गुप्ता लीगल कन्सलटेन्ट को हटाये जाने की मांग

124—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ में कार्यरत श्री जे0 पी0 गुप्ता लीगल कन्सलटेन्ट की सेवायें भविष्य में न लिये जाने हेतु मंत्री जी के माह मई, 90 में आदेश के बाद भी वे कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनको न हटाये जाने का क्या कारण है? इन्हें कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

वांछित स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही प्रतिस्थानी की नियुक्ति होने तक श्री जे0 पी0 गुप्ता, लीगल कन्सलटेन्ट से कार्य लिया जा रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के कार्यालय को गन्ना संस्थान में प्रस्थापित किये जाने का औचित्य

125—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ के कार्यालय को गन्ना संस्थान में प्रस्थापित मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में ले जाने की कार्यवाही की जा रही है, जबकि हाल के वर्षों में जहां संघ का कार्यालय है, उस पर कई लाख रुपये खर्च कर उसे आधुनिक बनाया गया है ? यदि हां, तो संघ के कार्यालय को हटाने का क्या औचित्य है ?

श्री राम शरण दास–

जी हां। उ0 प्र0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के वर्तमान भवन में स्थान की कमी के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त भवन आवासीय उपयोग के क्षेत्र में स्थित होने के कारण उसका व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में प्रयोग न किये जाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से विवाद चल रहा है। अतः इस स्थिति में गन्ना किसान संस्थान परिसर में उक्त संस्था द्वारा निर्माणाधीन बहुखंडी कार्यालय भवन को क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ के कर्मचारियों पर चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों का लागू न होना

126–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ के कर्मचारियों को नये चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप अवशेष का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है? उक्त कर्मचारियों को अवशेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास–

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ के कर्मचारियों पर चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त बिक्रीकर कार्यालय में बढ़ती अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र द्वारा जांच की मांग

127–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्रीकर के कार्यालय में बढ़ती जा रही भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में जांच उच्चस्तरीय समिति द्वारा कराने के बारे में तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र संख्या 913/90 दिनांक 20-3-90 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में तारीख 21-3-90 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में जिस अधिकारी के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच किये जाने का अनुरोध किया गया है, वे वर्ष 1975 में ही सेवानिवृत्त हो गये थे। चूंकि सेवा निवृत्ति के चार वर्ष पूर्व घटित किसी घटना के संबंध में नियमानुसार संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है, अतः प्रश्नगत पत्र पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

128–श्री सूर्यभान सिंह–

[7वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 98 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री प्यारे लाल लिपिक, कलेक्ट्रेट वाराणसी के वरिष्ठता सम्बन्धी प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की मांग

129–श्री खुर्शीद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामले अर्द्ध न्यायिक होते हैं? यदि हां, तो आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी ने वाराणसी कलेक्ट्रेट के श्री प्यारे लाल लिपिक को वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामले में अपने ही न्यायिक सम आदेश दिनांक 16-8-89 को पुनर्विचार करके दिनांक 8-1-90 को किन परिस्थितियों में निरस्त कर दिया? उपरोक्त आदेश के विरुद्ध श्री प्यारे लाल द्वारा सचिव राजस्व परिषद् के समक्ष दिनांक 16-1-90 को दिये गये प्रत्यावेदन पर अभी तक निर्णय न लेने का क्या कारण है?

श्री राम शरण दास–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी कलेक्ट्रेट में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण व्यवस्था का प्राविधान

130–श्री खुर्शीद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 15/28/73 रा0 एकी0-13 दिनांक 26-2-1976 के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट वाराणसी में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति से भर्ती हेतु आरक्षित रिक्तियों की गणना करने के उद्देश्य से आदर्श क्रमावली (रोस्टर) बनायी गयी है श्रेणी "घ" के वेतनमान रु0 1400-2300 में एक पद आरक्षित किया गया है? यदि हां, तो उक्त आरक्षित पद पर दिनांक 1-2-90 के बाद अनुसूचित जाति का कौन कर्मचारी नियुक्त है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या श्रेणी "घ" में दिनांक 1-8-1987 से कार्यरत श्री प्यारे लाल अनुसूचित जाति के स्थायी कर्मचारी को आदेश सं0 3/जी-सी दिनांक 1-2-90 द्वारा वेतनमान 1400-2300 से वेतनमान 1200-2040 में अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अधिकारी श्री प्यारे लाल के नियुक्ति प्राधिकारी अधिकारी हैं?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं । श्रेणी "घ" के वेतनमान 1400-2300 में कोई पद आरक्षित नहीं है और 1-2-90 के बाद अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी उक्त श्रेणी में प्रोन्नति नहीं किया गया है । श्रेणी "घ" में कार्यरत श्री प्यारे लाल को दिनांक 1-8-87 को पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप पदोन्नत किया गया था । परन्तु 3 अक्टूबर, 87 को शासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि उच्चीकृत वेतनमान में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है जिसके फलस्वरूप श्री प्यारे लाल को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया । श्री प्यारे लाल को जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 1-2-90 से प्रत्यावर्तित किया गया, जो उनके नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।

जनपद वाराणसी के ग्राम-लछिरामपुर में वादों के लम्बित होने के कारण धारा बावन के प्रकाशन में विलम्ब

131—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लछिरामपुर, परगना पन्द्रह, तह0 व जिला वाराणसी का आयुक्त चकबन्दी उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या 1936 दिनांक 19-2-84 द्वारा जोत हदबन्दी, अधिनियम की धारा 52(1) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशन अग्रिम निर्देश तक स्थगित किया गया है? यदि हां, तो उसे रोके जाने का क्या कारण है? क्या सरकार 19-2-84 के बाद हुए चकबन्दी में बड़े पैमाने में परिवर्तनों की जांच करायेगी?

श्री राम शरण दास—

जी हां, विभिन्न न्यायालयों में वादों अपीलों एवं निगरानियों के लम्बित रहने तथा अभिलेखों में कुछ त्रुटियां पाये जाने के कारण कथित ग्राम का जोत चकबन्दी की अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन अभी उचित नहीं समझा गया है।

बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जाने का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में नये इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन

132—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रदेश में नये इन्जीनियरिंग कालेज खोले जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

अभी इस प्रकरण पर निर्णय नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास योजना अलीगढ़ के कतिपय आवंटित विकसित प्लाटों पर कब्जा न मिलने का कारण

133—श्री राम प्रसाद देशमुख—

क्या आवास विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ की आवास विकास योजना नं0-7 के अन्तर्गत विकसित प्लाट नं0 20, 22, 24, 26, 28 जो सन् 1977-78 में कुछ लोगों को आवंटित हैं? इन लोगों को उन पर कब्जा न मिलने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। अनाधिकृत अध्यासन किये जाने के कारण सम्बन्धित आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा सका है।

134—श्री अर्जुन सिंह यादव—

[7वें मंगल के लिए स्थगित]

राजनीतिक पार्टियों पर राजकीय परिवहन निगम की बकाया धनराशि

135–श्री गुलाब सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 नवम्बर, 88 तक कांग्रेस (आई) भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी पर विभिन्न कार्यों के लिए परिवहन निगम से किराये पर ली गयी बसों के किराये की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है तथा बकाये के अब तक वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 30 नवम्बर, 1988 तक उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) पर विभिन्न कार्यों के लिए परिवहन निगम से किराये पर ली गयी बसों का रु0 2,60,13,318.00 किराये के रूप में बकाया है । उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) के अतिरिक्त अन्य किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा परिवहन निगम से बसें किराये पर नहीं ली गयी थी ।

बकाया धनराशि की वसूली हेतु उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम द्वारा निरन्तर पत्राचार तथा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाता रहा है ।

फर्म मोती लाल गुप्ता, बांदा की अपील में शासन पक्ष द्वारा शिथिलता बरतने के विरुद्ध शिकायती पत्र

136–श्री मूल चन्द–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि फर्म मोतीलाल गुप्ता बांदा में द्वितीय अपील स्तर पर विभाग द्वारा क्रास अपील की सुनवाई एक साथ न होने के कारण राजस्व की हानि के सबंध में सदस्य, विधान परिषद् श्री खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0 915/90 मुख्य मंत्री के कार्यालय में ता0 21-3-90 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बलिया जनपद के कतिपय पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं स्थगन आदेश

137–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या सरकार बतलायेगी कि बलिया जनपद के कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1990 में अब तक किया गया है उसमें से कितने अधिकारियों ने शासनादेश का अनुपालन किया है तथा कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने शासनादेश का उल्लंघन किया है तथा सरकार को शासनादेश बदलने पड़े हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वर्ष 1990 में बलिया जनपद से छः पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को स्थानान्तरित करने के आदेश जारी किए गए जिनमें से एक अधिकारी से सम्बन्धित आदेशों को स्थगित कर दिया गया है । किसी अधिकारी द्वारा आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

श्री बालक राम सचिव, गन्ना फरधान सोसाइटी लखीमपुर खीरी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

138—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री बीर बहादुर जिला खीरी लखीमपुर का संलग्न शिकायती पत्र सचिव, गन्ना फरधान सोसाइटी श्री बालक-राम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में दिनांक 25-4-90 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सचिव के विरुद्ध कौन कौन से आरोप जांच में सही पाये गये और दोषी सचिव के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

जांच की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री तेजबहादुर सिंह सहकारी पर्यवेक्षक, गोण्डा को सेवा निवृत्ति पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी देने का मामला

139—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीमती कर्मराजी देवी पत्नी स्वर्गीय मथुरा प्रसाद सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट समरसिंहपुर जनपद फैजाबाद का दिनांक 16-1-90 का पत्र जिसमें उनके भतीजे श्री तेज बहादुर सिंह सहकारी पर्यवेक्षक को 1 नवम्बर, 1979 को गोण्डा जनपद से सेवा निवृत्त होने और लखनऊ की ट्रिब्युनल अदालत द्वारा 6 जुलाई, 1987 को पेंशन ग्रेच्युटी देने का आदेश होने के बावजूद उक्त लाभ उन्हें अभी तक न मिलने की शिकायत की गयी है ? लोक शिकायत निदेशालय, मुख्य मंत्री सचिवालय को मिल गया है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और श्री तेज बहादुर सिंह को ग्रेच्युटी और पेंशन कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

क्लेम पिटीशन नं0-656/एफ/111/80 कृष्ण कुमार मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य एवं क्लेम नं0 380/एफ/111/81 अवध नरायन सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन तथा अन्य में जिसमें श्री तेज बहादुर सिंह का नाम याची नं0-2 पर था में माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्णय दि0 6-7-87 द्वारा एक ही में पारित किया गया था । माननीय लोक सेवा अधिकरण का निर्णय (मूलरूप में) जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), लखनऊ की विधिक राय प्राप्त हो गई है । मामले में विचार किया जा रहा है ।

श्री गणेश शंकर गुरुरानी (सेवा-निवृत्त) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के समस्त देयों के भुगतान हेतु निर्गत आदेश

140—श्रीमती सरस्वती तिवारी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-89 को सेवा निवृत्त हुये श्री गणेश शंकर गुरुरानी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों,

अल्मोड़ा को मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें लखनऊ द्वारा उनकी देय समस्त धनराशि व पेंशन आदि अभी तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? श्री गणेश शंकर गुरुरानी के पेंशन आदि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री गणेश शंकर गुरुरानी (सेवा-निवृत्त) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें को मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 के स्तर से उनको देय समस्त धनराशि व अनन्तिम पेंशन आदि के भुगतान हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । अब उनके स्तर पर श्री गुरुरानी को किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री गणेश शंकर गुरुरानी के अनन्तिम पेंशन आदि के भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट जिला लेखा परीक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल को भेजा जा चुका है ।

141–श्री चैन सुख भारती–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद अलीगढ़ में तहसील खैर एवं इगलास के मध्य नयी चीनी मिल लगाने का कथित प्रस्ताव

142–श्री बृजेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में तह0 खैर एवं इगलस के मध्य कोई चीनी मिल लगाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कुकरैल बांध लखनऊ में सिंचाई विभाग द्वारा श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा विचाराधीन

143–श्री गजराज सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में कुकरैल बांध में खसरा नं0–31 ग्राम शेखपुर कसैला, जिला लखनऊ में सिंचाई विभाग द्वारा भेजी गयी सूची के अनुसार भूमि 1-16-11 तथा भवन के मुआवजे का भुगतान किस-किस को नहीं किया गया ? क्या श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता की खसरा नं0-31 से ली गयी 165 वर्ग मी0 भूमि का का मुआवजा सिंचाई विभाग से पुष्टि होने पर भी अभी तक भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा जिन तीन काश्तकारों के भवन मूल्यांकन 1988 में करा-कर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया था उनके सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से एवार्ड की अनुमति प्राप्त होने के बावजूद जिला सरकारी वकील से राय ली गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री राम शरण दास—

अभिलेखों से वर्ष 1984 में भेजी गयी तथाकथित सूची का प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

सिंचाई विभाग ने पत्र दि0 23 जून, 1989 द्वारा खसरा नं0-31 में से ली गयी गयी 165 वर्ग मी0 भूमि श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को अर्जित होना सूचित किया है परन्तु अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि का एवार्ड न होने के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ।

श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता की भूमि का अभिनिर्णय नहीं किया गया है अतएव प्रतिकर-भुगतान का कोई प्रश्न नहीं है ।

सिंचाई विभाग द्वारा जिन तीन काश्तकारों के भवन मूल्यांकन का प्रस्ताव विशेष भूमि-अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया था उस पर राजस्व परिषद् से अनुपूरक अवार्ड की अनुमति प्राप्त हुई थी । अनुपूरक अवार्ड की वैधता आदि विधिक बिन्दुओं पर जिला शासकीय अधिवक्ता की राय मांगी गयी है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत बुकिंग लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक के नये वेतन मान का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन

144—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में कार्यरत बुकिंग लिपिक व वरिष्ठ लिपिक (ट्रैफिक साइड) के वेतनमान नये वेतन-मान में निर्धारित नहीं किये गये हैं ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी अन्य कर्मचारियों की भांति इनके वेतनमान भी निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

इन कर्मचारियों की ओर से श्रमिक संगठनों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचि-कायें दायर करके द्वितीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों से भिन्न उच्चतर वेतनमान हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे । याचिकाएं अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

145—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 राजकीय कोषागारों में कार्यरत कोषाध्यक्षों को नवीन व्यवस्था में आमीलित किया जाना

146—श्री छन्नू लाल शास्त्री—

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त राजकीय कोषागारों में राजकीय कोषाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी जो सरकारी कर्मचारी नहीं थे पर सन् 1987 में वे राजकीय कोषाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी जो सरकारी

कर्मचारी नहीं थे पर सन् 1987 में वे राजकीय सरकारी कर्मचारी घोषित किये गये और उनका पद नाम मुख्य रोकड़िया हो गया, लेकिन उनकी पिछली सेवायें जोड़ी नहीं जा रही हैं जिससे प्रदेश के सारे मुख्य रोकड़ियों को उस अवधि के सेवा के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सेवायें जोड़े जाने हेतु कब तक आदेश निर्गत कर दिए जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश कोषागार (रोकड़ शाखा) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1987 के लागू होने के पश्चात् कोषागारों तथा उपकोषागारों की कैश शाखा में पूर्व से प्रचलित ठेकेदारी की व्यवस्था को समाप्त कर उसके अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक राजकीय कोषाध्यक्षों को नवीन व्यवस्था में आमेलित करके उन्हें पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों का स्वरूप प्रदान किया गया परन्तु नयी व्यवस्था में उनको पूर्व की अंशकालिक सेवाओं का कोई लाभ उन्हें अनुमन्य नहीं हो सका ।

अतः पूर्व की सेवाओं को जोड़े जाने के संबंध में कोई आदेश जारी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि विकास बैंक लि0, लखनऊ में उप सामान्य प्रबन्धक के पद पर की गयी पदोन्नति का मामला सेवा मण्डल के विचाराधीन

147—श्री दयाशंकर—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि भूमि विकास बैंक में बिना सेवा मण्डल से अनुमोदन लिए उप सामान्य प्रबन्धक पद पर कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गयी ? विनिमय-5 के अन्तर्गत क्या उन्हें 6 माह के बाद प्रत्यावर्तित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब प्रत्यावर्तित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि0, लखनऊ (जिसका नाम पहले भूमि विकास बैंक था) में उप सामान्य प्रबन्धक के पद पर 5 अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति बिना सेवा मण्डल के अनुमोदन के की गयी ।

जी नहीं ।

चूंकि संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के अनुमोदन हेतु मामला उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के पास विचाराधीन है अतएव मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा तथा बैंक कार्य हित में अभी प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है ।

ग्राम सभा डूमरी, तप्पा—पटना, परगना शाहजहांपुर, जनपद देवरिया में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

148—श्री मुक्तिनाथ—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डूमरी, तप्पा-पटना, परगना शाहजहांपुर, तहसील व जिला देवरिया के किन-किन आराजी नम्बर की चकबन्दी के उपरोक्त खलिहान के तौर पर प्रयोग हेतु छोड़ा गया था तथा उस पर

अब किन-किन लोगों का अनधिकृत कब्जा है ? सरकार द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु वर्तमान समय में कानूनी सक्षम व्यवस्था

149—श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम समाज के भूखण्डों तथा आबादी के अन्दर स्थित सार्वजनिक रास्तों व गलियों व नालियों पर किये जाने वाले स्थायी व अस्थायी निर्माण तथा कब्जों इत्यादि को हटाने अथवा गिराये जाने हेतु परगनाधिकारी स्तर के अधिकारियों को शक्ति दिए जाने का कानून बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं ।

गांव सभा सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था में कोई दोष अनुभव में नहीं आया है ।

वाराणसी जनपद में परगनाधिकारी स्तर के न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या एवं औचित्य

150—श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर अन्तर्गत परगनाधिकारी स्तर के विभिन्न न्यायालयों में एक वर्ष से पुराने कितने वादों (मुकदमा) का निस्तारण अभी तक नहीं किया जा सका है तथा इसका क्या कारण है ? क्या उक्त लम्बित वादों का निस्तारण शीघ्र ही किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

वाराणसी जनपद में परगनाधिकारी स्तर के विभिन्न न्यायालयों में एक वर्ष पुराने कुल 739 राजस्व वाद अनिस्तारित हैं । विभिन्न पक्षकारों द्वारा समय से साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाना, अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण, वादकारियों द्वारा तारीखें बढ़वाना, पीठासीन अधिकारियों का विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण न्यायालय में न बैठ पाना, इनके अनिस्तारित रहने के प्रमुख कारण हैं ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

151—डा0 दिनेश जौहरी—

[5वें बुध में अता0 प्र0 सं0 165 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

पशुधन विभाग के कतिपय अनुभागों में सहायकों के स्थानान्तरण

152—श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री मयंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश तथा श्री राम आसरे पासवान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष शासन स्तर पर अधिकारियों के साथ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में भारी पैमाने पर स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पशुपालन अनुभाग 1 एवं 2 में कुछ प्रवर वर्ग सहायक (जो राजपत्रित अधिकारियों की डील करते हैं) पिछले पांच साल से तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहायकों को तत्काल स्थानान्तरित करके विभागीय सचिव के स्थानान्तरण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । पशुधन अनुभाग-1 एवं पशुधन अनुभाग–2 में क्रमशः एक एवं तीन प्रवर वर्ग सहायक (कुल चार) विगत पांच वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत थे, जिन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है । विभागीय सचिव का स्थानान्तरण इन स्थानान्तरणों से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री एन0 पी0 सिंह, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद के साथ किये गये दुर्व्यवहार का मामला दर्ज तथा अभियोगियों के विरुद्ध कार्यवाही

153—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 17 मई, 90 को जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद के साथ दुर्व्यवहार की कोई रिपोर्ट कोतवाली फैजाबाद में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? उक्त मामले की सी0 आई0 डी0 जांच कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, श्री एन0 पी0 सिंह, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 फैजाबाद की लिखित सूचना पर दिनांक 19-5-90 को थाना कोतवाली नगर जनपद फैजाबाद पर मु0 अ0 सं0—574/90 धारा 143/504/506/186/353/342 भा0 द0 वि0/7 क्रि0 ला0 अमेन्डमेंट एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

यह अभियोग (1) चिन्ताराम राजभर सा0 अकबरपुर, कोतवाली अकबरपुर, फैजाबाद (2) परमदेव पुत्र आशाराम नि0 बेलवारी थाना इब्राहीमपुर, (3) रामजी पाण्डे पुत्र कामता नि0 मुजाहिद थाना इब्राहीमपुर (4) श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा, (5) बासुदेव वर्मा, ब्लाक प्रमुख क्षेत्र टाण्डा, (6) श्याम जी पुत्र रामचन्दर नि0 बिनारुद्दीनपुर (7) 20–25 व्यक्ति अन्य के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है ।

इस अभियोग में अभियुक्त चिन्ताराम राजभर को दिनांक 20-5-90 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या—192/90 दि0 13-6-90 को प्रेषित किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर/विवेचक को कठोर निर्देश दिए गए हैं। यह अभियोग अभी विचाराधीन है।

इस मुकदमें की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा न्यायोचित ढंग से की जा रही है।

जनपद बांदा की सहकारी समितियों में ग्राम भीटी निवासी स्व0 जान आलम के आश्रित की नियुक्ति का मामला

154—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के श्री शाह आलम ग्राम भीटी, पोस्ट बिसण्डी, जनपद बांदा को उनके पिता की सेवा के दौरान मृत्यु के परिणामस्वरूप सेवा में लिए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 7-3-90 और प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री के पत्र सं0 सी0 एम0 वि0 को-3/54-149/तु0/90 जो कि निबन्धक सहकारी समितियों, उ0 प्र0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

श्री शाह आलम पुत्र स्व0 श्री जान आलम, निवासी ग्राम भीटी, पोस्ट बिसण्डी की पूर्व ही जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बांदा के पत्र संख्या—2666/ दिनांक 12-12-89 के अनुपालन में सचिव क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0 मुरवल के आदेश संख्या मेमो/स्था0 दिनांक 18-12-89 द्वारा मुरवल समिति पर नियुक्ति आंकिक पद पर की गई किन्तु उन्होंने सचिव पद पर नियुक्त की इच्छा से कार्यभार ग्रहण नहीं किया। प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-3-90 के साथ श्री शाह आलम ने अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 2-3-90 को संलग्न कर सचिव पद पर नियुक्ति की प्रार्थना की है किन्तु समिति के सचिव पद पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने के कारण उन्हें सचिव पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं पाया गया।

लाटूस रोड (लखनऊ) के ट्रांसपोर्ट कम्पनी में बिक्रीकर अधिकारी द्वारा मारे गये छापे में की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

155—श्री मूलचन्द—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के दूसरे मंगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0—6 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी ने कब की थी ? क्या जांच रपट को सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है और वे किस पद पर तैनात हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत जांच श्री एम0 एम0 दीवान तत्कालीन उपायुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, लखनऊ वर्तमान सदस्य बिक्रीकर अधिकरण ने वर्ष 1988 में पूर्ण की ।

चूंकि प्रश्नगत जांच गोपनीय है, इसे पटल पर रखना जनहित में न होगा ।

दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है । यह बिक्रीकर अधिकारी के पद पर तैनात हैं ।

156–158—श्री मूलचन्द—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश की कतिपय पुरानी एवं जर्जर चीनी मिलों का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की योजना

159—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 90-91 में प्रदेश में 16 जर्जर चीनी मिलों के स्थानों पर नई आधुनिक पेराई क्षमता वाली मिलों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो जर्जर मिलें कौन सी हैं तथा नई मिल कहां लगायी जा रही है ?

श्री राम शरण दास—

वर्ष 1990-91 में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की कुल 4 पुरानी एवं जर्जर मिलों का पुनर्वासन, आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है ।

राज्य चीनी निगम की जर्जर मिलें बरेली, मेरठ, घुघली एवं बंतालपुर हैं, जिनके पुनर्वासन, आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित है ।

160—श्री रमापति शास्त्री—

[6वें सोम में अता0 प्र0 सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

162—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

[5वें बुध में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने सम्बन्धी राज्य मंत्रिमण्डल के कथित उपसमिति का गठन

162—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने, मण्डल कमीशन व छेदालाल साथी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने, इस सम्बन्ध में हुए कई शासनादेश तथा कुछ वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अवैध ठहराने आदि समस्त मामलों पर विचार के लिए श्री नारायण दत्त तिवारी की अध्यक्षता में कोई मंत्रि मण्डलीय उप समिति बनाई गई थी? यदि हां, तो उसकी कुल कितनी बैठकें हुईं, उपसमिति ने इन संदर्भ में क्या कार्यवाही की? क्या उक्त उप समिति वर्तमान समय में कार्यरत है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्री अमर नाथ यादव–

[7वें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ग्राम दरहेटा के तालाबों की पट्टे से संबंधित पत्रावली का कथित रूप से गायब होना

164–श्री हृदय नारायण–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के पुरवा (उन्नाव) के परगनाधिकारी द्वारा ग्राम दरहेटा की तालाबों की पट्टों की पत्रावली के गायब होने की जांच सरकार करवा रही है? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत द्वारा पारित पट्टों की पत्रावली के गायब होने के प्रकरण में कौन दोषी पाया गया है?

श्री राम शरण दास–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी पर परिवहन विभाग की गाड़ियों का बकाया धनराशि एवं वसूली की कार्यवाही

165–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87, 87-88, 88-89, 89-90 में वर्षवार कुल कितनी बसें उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी अथवा जिला कांग्रेस कमेटियों के नाम बुक हुई? कुल कितना राजकीय बसों एवं परिवहन विभाग की कार, जीप, टैक्सियों का किराया बाकी है? क्या इसकी वसूलयाबी में शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए बकाया धनराशि वसूलने की कार्यवाही सरकार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी (आई) के नाम वर्ष 1986-87 में 1016 बसें, 1987-88 में 3,659 बसें, 1988-89 में 3037 बसें तथा 1989-90 में 369 बसें (कुल 8081 बसें) बुक हुयी हैं ।

वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक बुक की गई कुल 8,081 बसों का किराए के रूप में रु0 2,17,97,115.01 बकाया है । बकाया धनराशि की वसूली हेतु उ0प्र0 परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा निरन्तर पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किय जा रहे हैं । निगम के अधिकारियों द्वारा शिथिलता नहीं बरती गई है । अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बिजनौर डिपो में परिवहन विभाग का नई कार्यशाला का निर्माण

166–श्री सुखवीर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर में उ0प्र0 परिवहन निगम की बसों की हालत बहुत खराब है? यदि हां, तो मंत्री जी द्वारा उसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बिजनौर डिपो कार्यशाला में स्थानाभाव के कारण बसों का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है। बसों के समुचित रख-रखाव एवं मरम्मत आदि का कार्य दक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से बिजनौर में एक नई डिपो कार्यशाला निर्माणाधीन है।

नव सृजित जनपद सिद्धार्थनगर के राजस्व विभाग में स्थानीय लोगों की नियुक्तियां की मांग

167–श्री मुहम्मद सईद भ्रमर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद सिद्धार्थनगर के राजस्व विभाग में की गई नियुक्तियों में से जनपद सिद्धार्थनगर के किन-किन लोगों को किन-किन पदों पर नियुक्त किया गया है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि स्थानीय निवासी होने का कोई लाभ अभ्यर्थियों को देने का नियम है? यदि हां, तो नव नियुक्तियों में कितने बाहरी जनपद तथा कितने सिद्धार्थनगर जनपद के निवासी हैं?

श्री राम शरण दास–

सूचना एकत्र की जा रही है।

168–श्री राम करन आर्य–

[7वें मंगल के लिये स्थगित]

169–श्री अनिल कुमार भारद्वाज–

[7वें मंगल में अता0प्र0सं0 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश तोमर द्वारा दायर मामला विचाराधीन

170–श्री रविकान्त गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि हस्तान्तरित किये जाने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में कोई वाद मथुरा गोविन्द नगर हाउसिंग सोसायटी के भू0 पू0 सचिव श्री ओम प्रकाश तोमर द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने श्री खंजन तत्कालीन सचिव, सहकारिता को आरबीट्रेटर नियुक्त करके तीन माह में निर्णय दिये जाने का आदेश दिया था? यदि हां, तो आरबीट्रेटर के न्यायालय में उभय पक्ष की अंतिम बहस दिनांक 20-9-89 को समाप्त हो जाने के बाद कोई निर्णय दिया गया है? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के तहसील गाजीपुर में कस्टोडीएन की जमीन व्यक्ति विशेष के नाम बन्दोबस्त किया जाना

171–श्री उदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील गाजीपुर जनपद गाजीपुर के गांव सरांव उर्फ हैदरगंज ग्राम सभा विजौरा व ग्राम सभा मतेहू के अन्तर्गत कस्टोडीएन की जमीन

क्रमशः आ0 नं0 236/9 व 10/1028/2, 1034/2, 1035, 1036, 1289/2 व 1292/2, 1294, 1036/2 व 1038 तथा 1299/3 व 1147, 478, 707, 689, 694, 696 तथा गतेहू में आ0 नं0 416, 516/2, 618, 598, 599 किसी के नाम बन्दोबस्त कर दी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और पूरे कागजात सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम शरण दास–

ग्राम सरार उर्फ हैदरगंज के गाटा सं0-556/2 2-0-0, 610/2-4-14 पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 25-4-75 मु0 नं0 763 दफा 34 से ग्राम सभा के नाम खारिज कर विश्वनाथ सखरज, शिवनाथ पुत्र गण बाला, मुसाफिर राजदेव पुत्रगण सजीवन रामकत, रामबचन, सुबच्चन पुत्रगण दशरथ का नाम बतौर सीरदार दर्ज हुआ । इसी प्रकार के नम्बर 598/1-8-16, 599/0-6-8 से परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 26-6-75 मु0 नं0 1021/8 धारा 34 द्वारा ग्राम सभा का नाम खारिज होकर सखराज पुत्र बाला का नाम बतौर सीरदार दर्ज हुआ ।

ग्राम बिजौरा स्थित भूखण्ड संख्या 237/1/3-10-13 से परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 26-6-75 मु0 नं0–1006 धारा 34 से गांव सभा का नाम खारिज कर बाला पुत्र बीर बतौर दर्ज हुआ । इसी ग्राम के खसरा नं0 1028/2/0-2-0, 1034/2/0-4-0, 1035/0-1-12, 1036/0-1-6, 1037/0-2-0, 1038/0-1-18, 1289/2/0- 10-0, 1289/3/0-10-0, 1292/0-9-0, 1294/0-6-0 से असिस्टेंट कलेक्टर निष्क्रान्त सम्पत्ति लखनऊ दिनांक 2-2-77 द्वारा जारी सेल सर्टीफिकेट के आधार पर तहसीलदार गाजीपुर के आदेश दिनांक 7-6-77 मु0 नं0 1065 द्वारा दुर्बल पुत्र महावीर का नाम दर्ज हुआ ।

ग्राम मटेहू स्थित खसरा नं0-414/5-7-11 पर परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 26-6-75 मु0 नं0 1029 धारा 34 द्वारा कास्टोडियन आदेश से गांव सभा का नाम खारिज करके सखरज पुत्र बाला का नाम बतौर सीरदार दर्ज हुआ ।

भूखण्डों के कस्टोडियन सम्पत्ति होने अथवा गांव सभा सम्पत्ति होने से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी के लिये सम्बन्धित वाद पत्रावलियों की तलाश की जा रही है ।

परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला वाराणसी में की गयी नीलामी में धांधली तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही

172–श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के पूर्वी मंडल के वाराणसी क्षेत्र में दिनांक 6-2-1977 की नीलामी में हुयी धांधली में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कब-कब व क्या कार्यवाही की गई है ? इसी प्रकरण में निलम्बित व आरोपित कर्मचारी श्री बनवारी लाल सहायक स्टोरकीपर के विरुद्ध अनुशासनिक मामले में तथा अपील पर निर्णय कब व किस अधिकारी द्वारा किया गया ? क्या यह अधिकारी उक्त काण्ड में निलम्बित हुआ था ? यदि हां, तो क्या नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से उक्त अधिकारी द्वारा उक्त अपील पर निर्णय लेना उचित था ? क्या उक्त प्रकरण में ही निलम्बित अधिकारी श्री बी0 सी0 मिश्र सहायक परिवहन अभियन्ता के प्रकरण में प्रस्तुत रिलीज आदेशों की प्रतियां धर्मकांटे की रसीद तथा बयानों का अवलोकन श्री बनवारी लाल के प्रकरण में किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 6-2-77 को परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यशाला वाराणसी में हुई नीलामी में धांधली के प्रकरण में दो अधिकारियों और चार कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है ।

(1) श्री बी0 सी0 मिश्र, सहायक परिवहन अभियंता :–दिनांक 2-3-78 के आदेशानुसार निलम्बित किया गया । दि0 16-6-82 को उनके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चलाने के आदेश दिये गये। सतर्कता विभाग द्वारा अभियोग चलाया गया जो गतिशील है । श्री मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी चल रही है ।

(2) श्री जी0 सी0 श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी :–दिनांक 13-3-78 के आदेशानुसार निलम्बित किया गया । उन्हें आरोप पत्र देकर 14-8-78 को विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी इस प्रकरण में श्री बी0सी0 मिश्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय न होने से श्री श्रीवास्तव के मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है । इनके विरुद्ध न्यायालय में भी मामला विचाराधीन है ।

(3) श्री ए0 एन0 श्रीवास्तव, जूनियर बुकिंग क्लर्क:–इन्हें दिनांक 16-9-77 को निलम्बित किया गया तथा दि0 2-11-77 को आरोपित किया गया । इनके अनुशासनिक प्रकरण में दि0 17-8-79 को अंतिम आदेश पारित किये गये जिसके द्वारा निलम्बन काल का अवशेष वेतन भत्ता जब्त करते हुए चेतावनी देकर सेवा में बहाल किया गया था ।

(4) बनवारी लाल, सहायक भण्डारपाल :–क्षेत्रीय कार्यशाला वाराणसी के पुराने भंडार में 276 बैट्रियों के गायब होने के आरोप में दिनांक 13-7-77 को निलम्बित किया गया था । दिनांक 25-7-77 को आरोप पत्र दिया गया इसके अतिरिक्त पांच आईविम कम पाये जाने पर 27-5-78 को श्री लाल को दूसरा आरोप पत्र दिया गया इन दोनों अनुशासनिक मामलों की जांच पूर्ण होने पर दिनांक 30-7-88 के आदेश द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया गया तथा गायब की गयी बैट्रियों के मूल्य की धनराशि रु0 14214/- इनकी जमानत व देयकों से वसूल करने के आदेश दिये गये एवं निलम्बन काल का अवशेष वेतन भत्ता भी जब्त किया गया । दि0 6-2-77 को अनुपयोगी अल्मोनियम स्क्रेप की नीलामी की धांधली के मामले में भी श्री बनवारी लाल को दिनांक 24-7-78 को आरोप पत्र दिया गया यह विभागीय कार्यवाही अनिस्तारित है क्योंकि श्री लाल अब निगम की सेवा में नहीं हैं । इसी मामले में उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही भी विचाराधीन है ।

(5) व (6)–ए0 के0 पाण्डे, भंडार अधीक्षक तथा श्री के0 एम0 राय, जूनियर फोरमैन के विरुद्ध दिनांक 6-2-77 को अल्मोनियम स्क्रेप की नीलामी में उसकी तौल में, अभिलेखों में हेराफेरी करने के आरोप में सतर्कता विभाग द्वारा उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाया जा रहा है ।

दिनांक 6-2-77 को हुई नीलामी में अल्मोनियम स्क्रेप की तौल में धांधली करने के प्रकरण में श्री बनवारी लाल, सहायक स्टोर कीपर के विरुद्ध अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

श्री बनवारी लाल, सहायक स्टोर कीपर के विरुद्ध अल्मोनियम स्क्रेप के प्रकरण से संबंधित अनुशासनिक कार्यवाही अनिस्तारित है क्योंकि इस विभागीय जांच कार्यवाही के पूर्ण होने से पहले ही उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम रामपुर पुवारी में चकबन्दी के पैमाइश कार्य पर न्यायालय का स्थगन आदेश

173—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर पुवारी हवेली, तहसील व जनपद फैजाबाद में धारा-23 के अन्तर्गत चकबन्दी के संबंध में पुष्टिकरण वर्ष 1986 में हो चुका है तथा इस ग्राम की चक निगरानियों तक का निस्तारण कर दिया गया है, किन्तु अभी तक इस ग्राम के चकों का सीमांकन एक बार भी नहीं कराया गया है? क्या उक्त ग्राम का सीमांकन कार्य समाप्त कराये जाने के संबंध में तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री का दिनांक 12-10-89 का पत्र उप संचालक, चकबन्दी, फैजाबाद को मिला था? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं, ग्राम रामपुर पुवारी की चक अपील का निस्तारण दिनांक 23-7-87 को तथा चक निगरानियों का निस्तारण दिनांक 19-12-88 को हुआ है, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश, जो अनेक चकों के बारे में है, के कारण पैमाइश कार्य अवरुद्ध है ।

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश के कारण चक पैमाइश व सीमांकन का कार्य अवरुद्ध है ।

174-175—श्री शिव कुमार बेरिया—

[6वें मंगल के लिये स्थगित]

जनपद गाजियाबाद के मेडिकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल दवा कम्पनी पर बिक्रीकर का बकाया धनराशि

176—श्री संगम लाल शुक्ल—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद जनपद में मेडिकोरा ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल दवा कम्पनी पर 1-4-1970 से आज तक बिक्रीकर का कुल कितना बकाया है ? क्या सरकार बकाये की वसूली के लिए इस दवा क0 को नीलाम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत कम्पनी के विरुद्ध केवल वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित रु0 4500/- बिक्रीकर का बकाया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा सुन्नी में चकबन्दी कार्य तथा कब्जा संबंधी कागज न दिये जाने का कारण

177—श्री राम पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सुन्नी, ब्लाक-कछौना, तहसील—सण्डीला, जनपद-हरदोई में चकबन्दी विभाग ने अपनी बन्दोबस्त जिल्द के अनुसार तथा कृषकों के चक रकबा के अनुसार चक फीगरें बनाई हैं ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सभा सुन्नी, तहसील सण्डीला, जिला-हरदोई में चकबन्दी करके बन्दोबस्त जिल्द व नक्शा तहसील-सण्डीला को भेज दिए हैं ? यदि हां, तो कृषकों को कब्जा संबंधी कागज (फर्म नं0—25, 41 45) आज तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम शरण दास—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जोत चकबन्दी आकार-पत्र-25 अब निर्धारित नहीं है तथा आकार-पत्र-41 बांटने का प्राविधान नहीं हैं । जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 के उद्धरण ग्राम के कृषकों को दिनांक 20-10-88 को वितरित किए जा चुके हैं ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय ग्राम समाज की भूमि को अनुसूचित जाति/जनजातियों को आवन्टित किये जाने का विवरण

178—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जलालाबाद दुल्लपुर, शादियाबाद हंसराजपुर और नन्दगंज में ग्राम समाज की कितनी भूमि है ? उक्त भूमि में से क्या कुछ भूमि अनुसूचित जाति/जनजातियों को दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री राम शरण दास—

जनपद गाजीपुर तहसील सैदपुर के ग्राम जलालाबाद में 275.339 हे0, दुल्लहपुर में 4.378 हे0, शादियाबाद में 27.227 हे0, हंसराजपुर में 8.918 हे0, तथा नन्दगंज में 57.826 हे0 भूमि है । इसमें से जलालाबाद में 51 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 11.490 हे0, शादियाबाद में 6 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1.229 हे0 तथा नन्दगंज में 51 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 6.094 हे0 भूमि आवंटित की गई है ।

जनपद जौनपुर के ग्राम राजेपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

179—श्री अमर नाथ यादव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के तहसील शाहगंज के

ग्राम राजेपुर में ग्राम सभा की भूमि चकरोड एवं नयी आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो सरकार इन अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या इस संबंध में विधान परिषद् सदस्य श्री राजनाथ सिंह ने 16-3-90 को उनको पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शरण दास—

ग्राम राजेपुर में ग्राम सभा की चकरोड पर कोई अनाधिकार कब्जा वर्तमान समय में नहीं है । कृषि योग्य भूमि 3.95 एकड़ पर एवं नई आबादी के 0.5 एकड़ पर अनाधिकृत रूप से काबिज 7 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 122-बी का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री राजेनाथ सिंह मा0 सदस्य विधान परिषद् का पत्र दिनांक 16-3-90 प्राप्त हुआ है जिसे जिलाधिकारी को भेजा गया है प्राप्त सूचनानुसार पत्र का जनपद में उपलब्ध होना नहीं पाया जा रहा है ।

जनपद बांदा के ग्राम सभा बसरेही को जिला सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया टेलीविजन सेट

180—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम सभा बसरेही के लिए स्वीकृत टेलीविजन का अंशदान ग्राम सभा ने दिनांक 9-5-89 को जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, बांदा में जमा किया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा को अभी तक टेलीविजन न देने के लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और उपरोक्त ग्राम सभा को कब तक टेलीविजन उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

उक्त ग्राम सभा को टेलीविजन सेट न देने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है । जिला सूचना अधिकारी, बांदा द्वारा ग्राम सभा बसरेही को छः बार टेलीविजन सेट प्राप्त कर लेने का अनुरोध किया गया जिसके क्रम में ग्राम सभा बसरेही के प्रधान ने दिनांक 19 मई, 90 को जिला सूचना अधिकारी कार्यालय आकर टेलीविजन सैट प्राप्त कर लिया है ।

किसानों पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

(श्री अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही विरोध पक्ष के कांग्रेस दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं सत्ता पक्ष के भी कतिपय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, जिससे सदन में व्यवधान हो गया । कई सदस्य नारे

भी लगाने लगे । श्री कल्यान सिंह एवं उप नेता विरोधी दल, श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना" भी कुछ कह रहे थे जो अत्यन्त शोर के बीच कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था । सत्ता पक्ष में जनता दल के सदस्य श्री भोपाल सिंह भी खड़े होकर किसानों पर हुए लाठी चार्ज के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को बारम्बार उठाने का प्रयास करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठ जायें । मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं । यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूं और उसका उत्तर दूं, तो कृपया पहले आप बैठ जायें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर जोर-जोर से बोलने लगे तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 12.30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 2 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।)

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

[2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ होते ही श्री मोहम्मद रिजवानुल हक एवं श्री भोपाल सिंह पुनः खड़े होकर नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे जो श्री शफीकुर्रहमान बर्क एवं श्री विरेन्द्र सिंह (सहारनपुर) के प्रयास से बैठाये गये जिस पर कई विपक्षी सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मान्यवर, 311 सुन लीजिये..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जांय । 301 सुन लें ।

आज दिनांक 17 जुलाई 1990 को नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री सुरेन्द्र बिक्रम सिंह की, दूसरी श्री गजराज सिंह की, तीसरी श्री दयाराम भाष्कर की, चौथी श्री विजय सिंह की, पांचवीं श्री जसवन्त सिंह विष्ट की, छठी श्री अकबर हुसैन बाबर की तथा सातवीं श्री सुबास की हैं ।

इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई ।)

जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया मीरानपुर कटरा से ग्राम मरेना पर रेलवे लाइन के पास पुलिया बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

[मान्यवर, शाहजहांपुर के टाउन एरिया मीरानपुर कटरा जो कि राजमार्ग 24 पर है, मीरानपुर कटरा से एक सड़क सम्पर्क मार्ग के रूप में ग्राम मरेना जाती है और रेल की लाइन पार करके जाती है इस पर एक नाला चलता है, इस पुलिया का निर्माण न होने से ग्राम मरेना व उसके पास के ग्रामीणों को भयानक असुविधा है । ग्रामीण आज भी नाला बढ़ने से अपने इलाज हेतु तथा आवश्यक वस्तुयें खरीदने हेतु कटरा मीरानपुर, तिलहर नहीं जा पा रहे हैं विद्यार्थी जो मीरानपुर कटरा अथवा तिलहर में पढ़ते हैं वह भी स्कूलों को नहीं जा पा रहे हैं । मरेना व आस-पास के गांव में पुलिया न होने से भयंकर संकट है । तत्काल इस पुलिया का निर्माण कराया जाय ।]

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही धांधली एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजराज सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं—

"उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत वरिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा की जा रही मनमानी की घटनायें शासन के लिए एक चुनौती बनती जा रही है । विभाग में जंगल राज्य कायम हो चुका है । छोटी मछली बड़ी मछली द्वारा बड़ी सफाई एवं सीधे रूप में निगली

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रही है । इसकी जड़ें धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते मुख्यालय तक पहुंच गई हैं । इस संबंध में एक ताजा तरीन उदाहरण एक अधीक्षण अभियन्ता जो सम्प्रति निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता से सम्बद्ध हैं, के काले कारनामें आजकल चर्चा का विषय ही नहीं वरन् गम्भीर चिन्ता का कारण बने हुये हैं । इनके ऊपर अभियोग की एक लम्बी सूची है । जिसे माननीय प्रधान मंत्री से लेकर के मा0 मुख्य मंत्री जी एवं विभागीय मंत्री जी को उपलब्ध कराया जा चुका है । अपने अधीन सहायक अवर अभियन्ताओं का मानसिक एवं आर्थिक भया-दोहन करना उनका प्रतिदिन का कार्य है । उक्त अभियन्ता इससे पूर्व मुरादाबाद परिमण्डल के अधीक्षण अभियन्ता थे, जहां इनकी कार-गुजारी में एक अधिशासी अभियन्ता को मृत्यु का वरण करना पड़ा । यह तो लगभग 3 माह पुरानी बात हो गई है । सम्प्रति इनके काले कारनामे और उत्पीड़न एवं आन्दोलानात्मक हो गये हैं । जबसे उक्त अभियन्ता मुख्यालय से सम्बद्ध हुये हैं । उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । जब चाहूंगा परिस्थितियां मेरे विचार से ही निर्धारित होंगी । सतर्कता अधिष्ठान अथवा अन्य कोई जांच मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मुझे उच्चाधिकारियों को मैनेज करना आता है। सम्प्रति ग्राम्य विकास विभाग उक्त अधिकारी का चारागाह बन गया है । समूह ख, ग एवं घ श्रेणी के कर्मियों में भयंकर आक्रोश पनप रहा है । आन्दोलित कर्मी किसी भी समय कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकते हैं ।

मेरी आपके माध्यम से सदन को समस्त प्रकरण से अवगत कराते हुए शासन से स्पष्ट मांग है कि उपरोक्त की न्यायिक जांच कराके दोषी अधिकारी को हटाकर सम्पूर्ण विभागीय कर्मियों की भावनाओं का समादर कर व्याप्त आक्रोश का समन किया जाय ।]

आजमगढ़ जिलान्तर्गत थाना दीदारगंज में हरिजनों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाराम भास्कर—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान तथा माननीय सदन का ध्यान अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि जनपद आजमगढ़ थाना दीदारगंज के अन्तर्गत ग्राम पल्थी के हरिजनों को उसी गांव के सामन्तों द्वारा उनका घर लूट कर विनष्ट कर दिनांक 8-7-90 को उजाड़ दिया गया है जिसकी रपट थाना में नहीं लिखी तो किसी प्रकार लुक-छिप कर दिनांक 10-7-90 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र रपट दर्ज कराकर जरूरी कार्यवाही हेतु राम समुझ आदि हरिजनों ने दिया है । गांव के पास-पड़ोस में काफी आंतक छा गया है सामन्तों ने हरिजनों को जान से मार डालने का फैसला कर लिया है । किसी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो सकती है ।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकरण की जांच तत्काल कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश देने का कष्ट करें ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सोनभद्र के दुद्धी विन्द्राबगंज मार्ग पर कनहर सेतु का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह–

[मान्यवर, सोनभद्र जनपद के तहसील दुद्धी के दुद्धी विन्द्रामगंज मार्ग जो उ0 प्र0 और बिहार को जोड़ने वाली प्रमुख मार्ग है, पर कनहर सेतु का निर्माण कार्य 10 वर्षों से मन्द गति से हो रहा है। जहां एक ओर निर्माण कार्य न होने से नदी में बाढ़ के कारण 4 माह कनहर नदी के पूरब का क्षेत्र 4 न्याय पंचायत का दुद्धी मुख्यालय से छूट जाता है, जिससे वह क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर बम्बई, कलकत्ता मार्ग के ट्रैफिक को मुगलसराय मिर्जापुर होकर 300 कि0 मी0 का अतिरिक्त मार्ग तय करना पड़ता है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन की संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि कनहर सेतु को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाय।]

जनपद पौड़ी में कतिपय गांवों की जमीन खिसकने से मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

[मान्यवर, दिनांक 10-11 जुलाई को भयंकर बारिश होने से जनपद पौड़ी के स्थान नील कंठ के पास कई गांवों की जमीन खिसकने से बहुत से मकान मलवे से दब गये हैं, जिनमें अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। स्वर्गाश्रम से नीलकंठ जाने व आने वाले यात्रियों की दब कर मृत्यु हो गई है। 36 शव निकाले जा चुके हैं, और मलबे में कितने शव दबे हैं इसका अनुमान नहीं है। गांव में नीलकंठ में दूध चढ़ाने लाखों श्रद्धालु जाते हैं, ऋषिकेश में इस दैविक दुर्घटना से हा हा कार मचा है मैं मांग करता हूं कि तत्काल सरकार राहत कार्य आरम्भ करें, मृतकों के आश्रितों को पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करें।]

नगर पालिका टाण्डा जनपद फैजाबाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर राजनैतिक कार्यकर्ताओं के घर गिराये जाने से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन बाबर–

[मान्यवर, नगरपालिका टाण्डा जनपद फैजाबाद पिछले 15 दिनों से नियमों का उल्लंघन करके और उच्च न्यायालय के आदेश का निरादर करके राजनैतिक द्वेष व बदला लेने की भावना से उन सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के चबूतरे व छज्जे तोड़े जा रहे हैं। जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस का विरोध किया था।

दिनांक 12-7-90 को जब नगरपालिका टाण्डा जनपद-फैजाबाद के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी अतिक्रमण के नाम पर मोहल्ला अलीगंज में अवैधानिक रूप से लोगों के चबूतरे तोड़ रहे थे, व घर गिरा रहे थे तो जनता ने विरोध किया, टाण्डा के जन नेता का0 खैसाल अहमद अन्सारी को अधिशासी अधिकारी व पुलिस वालों ने बुरी तरह मारा जिससे उनके हाथ में संगीन की चोट तथा हाथ टूट गया है इस घटना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से पूरे 1 लाख वाले आबादी में असंतोष फैला है हड़ताल हुई, प्रदर्शन हो रहा है स्थिति बड़ी विस्फोटक है।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि अधिशासी अधिकारी टण्डा व अन्य दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा कायम कराकर व गिरफ्तार कराया जाय, जिन लोगों के चबूतरे व घर गिराये गये हैं उनको क्षतिपूर्ति दिलाया जाय।]

जनपद मऊ में घाघरा नदी के कटान से उत्पन्न विषम स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुबास–

[मान्यवर, आपके माध्यम से अपने जनपद मऊ के घाघरा नदी के बढ़ाव से संबंधित गांवों तथा अति वर्षा से कछार के गांवों में आयी बाढ़ की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मऊ जनपद के घाघरा नदी के किनारे बसे गांवों में घाघरा नदी के पानी बढ़ाव के कारण सारी फसल डूब गयी, गांव-गांव पानी में डूब रहा है मकान गिर रहे हैं तथा कछार एरिया नीची जमीन वाले गांवों में भीषण वर्षा का पानी जमाव किया है। वहां भी सारी फसल डूब गयी मकान पानी में घिरे हैं और गिर रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके रोकथाम की व्यवस्था पहले से होती तो यह भीषण बाढ़ इतने बड़े पैमाने पर प्रभाव नहीं डाल सकती थी।

अतः इस लोक महत्व के मामले को माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर समाधान की मांग करता हूं ताकि बाढ़ में डूबे गांव तथा बर्बाद फसल एवं नदी के कटाव पर काबू पाया जा सके।]

किसानों पर हुए लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री भोपाल सिंह–

किसानों पर अत्याचार हो रहा है। सरकार अल्पमत में हो गई है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, यह सरकार अल्पमत में हो गई है।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री उन्दल, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री मोहम्मद इम्तियाज खां, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री भारत सिंह रावत, श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना, श्री पंचानन राय, श्री कल्यान सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री मयंकर सिंह, श्री नकली सिंह, श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी), श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री भोपाल सिंह, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री किरन पाल सिंह, श्री

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मोहम्मद रिजवानुल हक आदि की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

मान्यवर, नियम 311 की जो सूचनायें आपको दी गई हैं उनके बारे में यह तय हुआ था कि उन पर आप सुनेंगे । . . . (व्यवधान) उधर के सदस्य भी अपनी बात कहना चाहते हैं।

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे और कुछ सदस्य उनको बैठाने का प्रयास करते रहे)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपके कक्ष में यह भी तय हुआ था कि प्रश्नकाल चलेगा । इन्होंने नहीं चलने दिया । यह आपके कक्ष में तय हुआ था । विरोध पक्ष उनका उल्लंघन करता है । माननीय उप नेता भी कल उस समय उपस्थित थे, जब यह निश्चय हुआ था । उनके सामने तय हुआ था ।

*श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना–

यह सत्य से परे बोल रहे हैं । यह निश्चय हुआ था कि विरोधी दल के लोग अपनी-अपनी बात कहेंगे और आप सुनेंगे । इस घटना को लेकर जो आज सत्ता दल में जो बात पैदा हो गयी है, यह संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है । आपके कक्ष में सारे दलों के नेताओं ने यह बात कही थी कि नियम 311 और किसानों से सम्बन्धित सूचनाएं आप सुनेंगे । कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने आपको लिखकर दिया है . . .

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इनके पास न विरोध करने का साहस है और न . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आप मेरी बात सुनें । मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूं। कृपया सब लोग बैठ जायं . . (व्यवधान)

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री वीरेन्द्र सिंह (सहारनपुर) द्वारा जबरदस्ती बिठाने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(श्री मोहम्मद रिजवानुल हक अपने स्थान पर खड़े होकर अपना गाल सहलाने लगे ।)

एक सदस्य—

किसी ने चोट लगा दी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

सदन में माननीय सदस्य को पीटा जा रहा है । संसदीय मान्यताओं का हनन हो रहा है । आप इसके मूल्यों की रक्षा करें । माननीय सदस्य को सुरक्षा प्रदान करें । यह जनतंत्र विरोधी सरकार है । जनतंत्र पर प्रहार हो रहा है...

(कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोले जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री शारदा नन्द अंचल—

आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे सभी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(दोनों पक्षों के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से एक साथ बोल रहे थे जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दिया।)

सदन के संचालन हेतु बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग बैठ जायें। मेरा आपसे एक निवेदन है कि संसदीय परम्परा यह है कि अध्यक्ष के कमरे में जो बात तय हो जाती है उसके अनुसार सदन संचालित होता है । कई बार यह प्रश्न उठाया जा चुका है, माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके महत्वपूर्ण प्रश्न सूची में होते हैं परन्तु व्यवधान के कारण हमारे प्रश्न नहीं आ पाते हैं और उनका उत्तर नहीं हो पाता है, इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है । इसी कारण प्रारम्भ से लेकर जब से यह सदन चलना प्रारम्भ हुआ है यही होता है। इस कारण मैंने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी दलों के नेताओं के अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। उसको अभी केवल 4, 5 दिन हुए हैं जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि प्रश्न काल में कोई व्यवस्था की बात नहीं उठाई जायेगी और प्रश्न काल के बाद ही नियम 311 की सूचनाओं को लिया जायेगा। यह भी तय हुआ था कि कोई भी प्रश्न नियमों को शिथिल करने के लिये, कार्यवाही रोकने के लिए यदि उठाया जायेगा तो वह प्रश्न काल के बाद ही होगा । इस पर आप सब ने सहमति दी थी । परन्तु उसके बावजूद कल जो कुछ भी हुआ वह अलग है, लेकिन आज मेरे कक्ष में एक निर्णय हो गया आप सब जानते हैं मैंने स्वतः कहा था चूंकि आप इतने उत्तेजित हैं कोई लोक महत्व का बहुत बड़ा प्रश्न है तो मैं प्रश्न काल को स्थगित करके आपकी बात को ले लूंगा लेकिन आप सब विपक्ष के नेताओं ने कहा कि प्रश्न काल होने दीजिए उसके उपरांत यह विषय ले लीजियेगा। 311 के बारे में भी यह तय हुआ कि आपकी तरफ से यह आश्वासन आ जायेगा कि इसे बाद में सुन लिया जायेगा । इसके बाद भी जो कुछ यहां हुआ वह सब आपके सामने हुआ माननीय नेता और माननीय

सदस्य जो वहां मौजूद थे देखें कि पीठ की बात को यहां नहीं माना गया है और व्यवधान उत्पन्न किया गया यही 7 मार्च को हुआ और निरन्तर होता चला आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं अब नियमों के अनुसार सदन को चलाऊंगा। आपकी जो कमजोरी है, आपके दल की जो कमजोरी है वह यह है कि माननीय नेतागण जो कक्ष में बात करके आते हैं और तय करते हैं उसका पालन नहीं होता है। इसलिए 311 के बारे में मैंने निर्णय दे दिया है इसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

आपके कक्ष में सारी बातें हो गयीं और तय हुआ कि प्रश्न काल के बाद लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह सुबह जो हुआ (व्यवधान) लोग वेल में आ गये।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, 311 पर हम बल देते हैं इनके दल के ही लोगों ने जो 38, 70 लोगों ने लिख कर दिया है कि नेता सदन पर उनका विश्वास नहीं है। उन्होंने बोम्मई साहब को लिख कर चिट्ठी दी है कि इनको हटाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर आपकी बात नहीं सुनूंगा (घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय उप-नेता विरोधी दल ने कहा कि यह लोग अल्पमत में हैं यह गलत है माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार पूर्ण बहुमत में है हमारे दल ने उन पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

यह कापी जो दी है यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

(श्री कल्यान सिंह के खड़े होने पर) माननीय कल्यान सिंह जी यदि आप इस पीठ का सम्मान करते हैं तो मेरा निर्णय यह है कि चूंकि प्रारम्भ में जो हुआ उसमें पूर्व निर्णय का अनुपालन नहीं हुआ है और नियमों का पालन नहीं हुआ है इसलिए मैं 311 की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 में श्री कल्यान सिंह जी ने जो कुछ आपने दिया है उसको अस्वीकार तो नहीं करूंगा लेकिन आज मैं सुनूंगा नहीं। साथ ही अन्य सूचनाओं को भी आज नहीं सुनूंगा।

नियमों को शिथिल करते हुए दिनांक 18 जुलाई से 25 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन में पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसके कारण संबंधी कार्यक्रम को आज ही किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं वित्तीय वर्ष 1990-91 के बजट के लिये सिंचाई मंत्री को आमंत्रित करता हूं। (शोर) आप लोग जो शोर कर रहे हैं यह उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियमों को . . .

(घोर व्यवधान के मध्य विरोध पक्ष, कांग्रेस सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने लगे) (अनेक सदस्य डायरी राइटर की मेज से होते हुए श्री अध्यक्ष की ओर बढ़ने लगे।)

(व्यवधान के मध्य)

शिथिल करते हुए इस सदन द्वारा दिनांक 18 से 25 जुलाई, 1990 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन में पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण, का कार्यक्रम आज दिनांक 17 जुलाई, 1990 को सदन में ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-10 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्यो-पैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-46 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-47 पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-76 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-77 सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय),

अनुदान संख्या-78 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-79 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

(शोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा की आज दिनांक 17 जुलाई, 1990 की कार्य सूची की मद संख्या 8 में उल्लिखित और आज इस सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में अनुदान संख्या 10 लगायत 12, 15 लगायत 17, 32 लगायत 37, 42, 46, 47, 72 लगायत 79 के अन्तर्गत जिनका विस्तृत विवरण निम्न लिखित है:–

1–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,03,19,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

2–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,44,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

3–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,28,53,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

4–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,07,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

5–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,55,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

6–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,19,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

7–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,52,60,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

8–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,50,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

9–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,54,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

10–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,06,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

11–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,54,81,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

12–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 61,47,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

13–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,91,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

14–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-46–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,90,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि ।

15–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-47–पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,94,19,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

16–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-72–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,29,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

17–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-73–

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,90,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

18–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-74–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,99,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

19–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,08,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

20–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,44,65,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

21–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77–सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

22–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-78–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,54,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

23–दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-79–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,89,50,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि ।

31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां, जिनका कुल योग 26 अरब 31 करोड़ 79 लाख 85 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 17 जुलाई, 1990 की कार्य-सूची की मद संख्या 8 में उल्लिखित और आज इस सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में अनुदान संख्या 10 लगायत 12, 15, लगायत 17, 32 लगायत 37, 42, 46, 47, 72 लगायत 79 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के

लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त क्रमशः 5 अरब 3 करोड़ 19 लाख 71 हजार रुपये, 15 करोड़ 44 लाख 59 हजार, 2 अरब 28 करोड़ 53 लाख 83 हजार रुपये, 39 करोड़ 7 लाख 45 हजार रुपये, 5 करोड़ 55 लाख 27 हजार रुपये, 5 करोड़ 19 लाख 88 हजार रुपये, 1 अरब 52 करोड़ 60 लाख 22 हजार रुपये, 23 करोड़ 50 लाख 52 हजार रुपये, 6 करोड़ 54 लाख 41 हजार रुपये, 41 करोड़ 6 लाख 80 हजार रुपये, 49 करोड़ 54 लाख 81 हजार रुपये, 61 करोड़ 47 लाख 49 हजार रुपये, 35 करोड़ 91 लाख 14 हजार रुपये, 49 करोड़ 90 लाख 53 हजार रुपये, 1 अरब 94 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपये, 86 करोड़ 29 लाख 48 हजार रुपये, 11 करोड़ 90 लाख 52 हजार रुपये, 7 करोड़ 99 लाख 69 हजार रुपये, 13 करोड़ 8 लाख 7 हजार रुपये, 2 अरब 44 करोड़ 65 लाख 80 हजार रुपये, 5 लाख 45 हजार रुपये, 1 अरब 66 करोड़ 54 लाख 39 हजार रुपये, तथा 6 अरब 89 करोड़ 50 लाख 31 हजार रुपये की धनराशियां, जिनका कुल योग 26 अरब 31 करोड़ 79 लाख 85 हजार रुपये है, से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री असगर अली व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये । श्री असगर अली ने अपना खून से सना कुर्ता उतार कर श्री अध्यक्ष की ओर फेका तथा अन्य विपक्षी सदस्य भी उत्तेजित होकर शोर करने तथा नारे लगाने लगे सत्ता पक्ष से भी नारे लगाये गये जिससे सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई ।)

वर्ष 1990-91 के बजट साहित्य के खण्ड-2 (भाग-1) की नत्थी-10 के क्रम संख्या-1 में संशोधन की सूचना

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वर्ष 1990-91 के बजट साहित्य के खण्ड-2 (भाग–1) की नत्थी-10 के क्रम संख्या-1 में उल्लिखित धनराशि को अड़तिस करोड़ रुपये के स्थान पर पचहत्तर करोड़ रुपये पढ़ा जाय क्योंकि उल्लिखित मद के लिये सैंतिस करोड़ रुपये की राशि लेखानुदान अवधि में और स्वीकृत की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 विनियोग विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उ0 प्र0 विनियोग विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 विनियोग विधेयक, 1990 को पुरः-स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां बांट दी जायं ।

(घोर व्यवधान के मध्य प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 पर विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(कई सदस्य सचिव, विधान सभा की मेज के पास जाकर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

खण्ड–2 तथा खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990

31 मार्च, 1991 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1990 कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं पर प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1990 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1990) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 1,48,03,07,43,000 रुपये (केवल एक सौ अड़तालिस अरब, तीन करोड़, सात लाख, तैंतालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि से वर्ष 1990-91 के लिए 1,48,03,07,43,000 रुपये का निकाला जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं । — विनियोग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3			
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	6,93,43	10	6,93,53
		पूंजी	1,71,00	...	1,71,00
2	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) ..	राजस्व	24,85,46	10,90,00	35,75,46
		पूंजी	73,90,00	6,29,00	80,19,00
3	आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) ..	राजस्व	2,79,67,42	..	2,79,67,42
		पूंजी	4,00,00	..	4,00,00
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	2,94,07	10	2,94,17
		पूंजी	1,50,00	..	1,50,00
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	27,19,23	25	27,19,48
		पूंजी	10,66,99		10,66,99
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	43,77,23	8,07	43,85,30
		पूंजी	2,03,25	10,16	2,13,41

1	2		3		
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ..	राजस्व	2,67,90	1,04,50	3,72,40
		पूंजी	61,12,28	1,36,69	62,48 97
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) ..	राजस्व	19,94,97	..	19,94,97
		पूंजी	1,50,00	..	1,50,00
9	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	58,15	..	58,15
		पूंजी	1,33,00	..	1,33,00
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1,74,16	..	1,74,16
		पूंजी	7,59,04,89	..	7,59,04,89
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) ..	राजस्व	20,25,45	8,56	20,34,01
		पूंजी	2,88,93	..	2,88,93
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	2,21,66,01	3,12	2,21,69,13
		पूंजी	91,67,60	50	91,68,10
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ..	राजस्व	8,33,56,72	50	8,33,57,22
		पूंजी	10,78,00	..	10,78,00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ..	राजस्व	55,53,13	21	55,53,34
		पूंजी	27,22,09	..	27,22,09
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	50,51,49	10	50,51,59
		पूंजी	2,93,11	..	2,93,11
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ..	राजस्व	4,58,86	1,81	4,60,67
		पूंजी	1,66,05	6,00	1,72,05
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	7,18,43	2	7,18,45
		पूंजी	..	..	..
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	3,61,71,22	10,52,41	3,72,23,63
		पूंजी	54,51,31	9,52,55	64,03,86
19	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व	32,41,04	..	32,41,04
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

20	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,20,07	..	1,20,07
		पूंजी	..	..	..
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	1,02,06	2,45,97	3,48,03
		पूंजी	10,00	..	10,00
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	26,27,23	4,00,90	30,28,13
		पूंजी	11,17,57,00	55,00,50	11,72,57,50
23	खेल विभाग	राजस्व	4,36,68	...	4,36,68
		पूंजी	34,50	..	34,50
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	16,67,83	26	16,68,09
		पूंजी	4,50,00	1,78	4,51,78
25	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	21,26,29	19,66,23	40,92,52
		पूंजी	92,50,00	1,90,50	94,40,50
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	28,51,17	2	28,51,19
		पूंजी	2,00,00	...	2,00,00
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	5,01,85,77	75,63	5,02,61,40
		पूंजी	3,58,58	70,20	4,28,78
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	19,52,66	..	19,52,66
		पूंजी	..	....	..
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	35,02,30	..	35,02,30
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	55,05	....	55,05
		पूंजी	..	..	..
*31	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	80,31	80,31
		पूंजी	..	..	..
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,75,40,20	1,00	1,75,41,20
		पूंजी	37,46,37	..	37,46,37
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	30,78,24	2	30,78,26
		पूंजी	2,29,13	..	2,29,13

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	9,11,50	..	9,11,50
		पूंजी	18,02	..	18,02
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	60,54,10	25	60,54,35
		पूंजी	1,25,67	..	1,25,67
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	74,32,00	39	74,32,39
		पूंजी	2	..	2
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	91,33,54	50	91,34,04
		पूंजी	54,00	..	54,00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	2,65,92	..	2,65,92
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	52,30	..	52,30
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	37,51,52	..	37,51,52
		पूंजी	..	..	..
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	13,47,39	..	13,47,39
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	48,97,12	8,62,69	57,59,81
		पूंजी	2,74,71	..	2,74,71
43	परिवहन विभाग	राजस्व	6,50,04	12	6,50,16
		पूंजी	14,12,94	..	14,12,94
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,47,50	..	2,47,50
		पूंजी	2,32,86	..	2,32,86
45	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	46,31	..	46,31
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

46	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	50,76,31	85,02	51,61,33
		पूंजी	9,98,07	..	9,98,07
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	1,59,37,41	23,00	1,59,60,41
		पूंजी	87,68,77	18,00	87,86,77
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	52,26	2,73	54,99
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	57,03,17	..	57,03,17
		पूंजी	89,21	..	89,21
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	51,66,54	35	51,66,89
		पूंजी	14,00,00		14,00,00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	45,10,77	90,10,59	1,35,21,36
		पूंजी	1,42,23	29,84	1,72,07
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,65,37,35	1,57,25	1,66,94,60
		पूंजी	48,13	2,01.52	2,49,65
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1,34,90	..	1,34,90
		पूंजी	1,00	..	1,00
54	वन विभाग	राजस्व	94,47,43	20,84	94,68,27
		पूंजी	3,67,76	..	3,67,76
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	11,00,17,83	13,43,33,41	24,43,51,24
		पूंजी	20,95,00	14,48,51,24	14,69,46,24
56	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	2,28,41,37	15,37	2,28,56,74
		पूंजी	..	..	..
57	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	10,92,76	..	10,92,76
		पूंजी	5,00	..	5,00
58	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	1,39,60,82	..	1,39,60,82
		पूंजी	..	..	..
59	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	22,26,88	3	22,26,91
		पूंजी	8,33	..	8,33
60	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	18,05	19,70,81	19,88,86
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
61	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,94,53	4,38	1,98,91
		पूंजी	..	..	..
62	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	7,44,81	7,28	7,52,09
		पूंजी	..	..	..
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	1,80,00	..	1,80,00
64	विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व	8,68,50	..	8,68,50
		पूंजी	..	..	..
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	8,43,34,89	38,33,01	8,81,67,90
		पूंजी	..	..	..
66	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	5,56,86,38	50,00,55	6,06,86,93
		पूंजी	1,13,87	..	1,13,87
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1,46,78,52	55,85	1,47,34,37
		पूंजी	1,36,39	..	1,36,39
68	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	11,23,82	..	11,23,82
		पूंजी	..	..	..
69	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	9,96,06	..	9,96,06
		पूंजी	..	..	..
70	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	77,92,53	2	77,92,55
		पूंजी	..	...	..
71	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	34,64,01	20	34,64,21
		पूंजी	1,02,71	..	1,02,71
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1,11,50,23	5	1,11,50,28
		पूंजी	..	..	..
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	5,16,86	9,02	5,25,88
		पूंजी	13,97,35	1,00	13,98,35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	3,73,44	21,97	3,95,41
		पूंजी	8,82,25	50	8,82,75
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मिक भवन)	राजस्व	31,54	20	31,74
		पूंजी	17,56,57	3,25	17,59,82
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	1,47,08,03	10	1,47,08,13
		पूंजी	2,48,34,38	50	2,48,34,88
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	8,17	. . .	8,17
		पूंजी	. .	. .	. .
78	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1,38,20,58	1,00	1,38,21,58
		पूंजी	1,03,32,00	. .	1,03,32,00
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	5,21,53,12	10,52	5,21,63,64
		पूंजी	4,76,88,23	57,01	4,77,45,24
80	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	45,18	2	45,20
		पूंजी	25,00	. .	25,00
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री-कर)	राजस्व	37,48,88	40	37,49,28
		पूंजी	1,05,52	. .	1,05,52
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,37,27	. .	1,37,27
		पूंजी	. .	. .	. .
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	7,03,73	4	7,03,77
		पूंजी	3,00,00	. .	3,00,00
84	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	35,93,34	4	35,93,38
		पूंजी	. . .	. . .	. .
85	सतर्कता विभाग	राजस्व	3,14,49	19,44	3,33,93
		पूंजी	. . .	. .	. .
86	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	24,01	5	24,06
		पूंजी	9,62	50	10,12
87	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	4,27,32	2	4,27,34
		पूंजी	85,00	. .	85,00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
88	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	6,53,41	2	6,53,43
		पूंजी	..	..	..
89	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	39,72	..	39,72
		पूंजी	..	..	..
90	सूचना विभाग	राजस्व	10,40,35	..	10,40,35
		पूंजी	..	..	..
91	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	4,43,79	2	4,43,81
		पूंजी	9,87	..	9,87
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	राजस्व	1,39,79,07	2	1,39,79,09
		पूंजी	2	..	2
93	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	44,17,00	2	44,17,02
		पूंजी	..	..	..
94	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	5,27,32	2	5,27,34
		पूंजी	..	..	..
	योग ..	राजस्व	82,62,73,91	16,04,87,70	98,67,61,61
		पूंजी	34,08,84,58	15,26,61,24	49,35,45,82
	कुल योग ..		1,16,71,58,49	31,31,48,94	1,48,03,07,43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 तथा खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उ0 प्र0 विनियोग विधेयक, 1990 पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और घोर व्यवधान के मध्य स्वीकृत हुआ)

सदन के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और घोर व्यवधान के मध्य स्वीकृत हुआ)

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन अपराह्न 2 बजकर 46 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
17 जुलाई, 1990

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नत्थी 'ख' के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

परिशिष्ट

स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति की मुख्य बातें

(1) मैदानी क्षेत्र के समूह "क" तथा "ख" के अधिकारियों को गृह जनपद को छोड़कर समस्त प्रदेश में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे अधिकारियों को एक स्तर के ऊपर के अधिकारी की अनुमति से अपरिहार्य परिस्थितियों में गृह जनपद में भी तैनात किया जा सकता है।

(2) मैदानी क्षेत्र के समूह "क" तथा "ख" के अधिकारियों को सामान्यतः किसी एक पद पर तीन वर्ष से अधिक न रखा जाय। किन्तु लखनऊ से भिन्न जनपदों में एक जिले में भिन्न-भिन्न पदों पर 6 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, तो उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाय।

पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे अधिकारियों की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

(3) मैदानी क्षेत्र के समूह "क" के लिपिकीय तथा अप्रशासकीय कर्मचारियों को गृह निवास स्थान को छोड़कर मण्डल में स्थानान्तरित किया जा सकता है जबकि अन्य प्रशासकीय कर्मचारियों को मण्डल के बाहर भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

पर्वतीय क्षेत्र के समूह "ग" के सभी कर्मचारियों को अपने जिले में गृह निवास स्थान को छोड़कर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(4) समूह "घ" के कर्मचारियों को मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में अपने गृह निवास स्थान को छोड़कर जिले में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(5) समूह "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों को एक पद पर यथासम्भव तीन वर्ष तक अवश्य रखा जाय। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि पांच वर्ष हो सकती है।

(6) इस वर्ष सामान्यतः दिनांक 30 अप्रैल, 1990 के पूर्व तथा 16 जून, 1990 के बाद स्थानान्तरित किये जाने पर रोक लगाई गई है।

(7) दिनांक 16 जून, 1990 के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण का अनुमोदन करने के निम्न स्तर निर्धारित किये हैं :—

ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनके स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष अथवा शासन के सचिव द्वारा किये जाते हैं।	माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से
मण्डलायुक्तों द्वारा	सम्बन्धित विभाग के सचिव के अनुमोदन से।
फील्ड स्तरीय अधिकारी द्वारा	मण्डलायुक्त के अनुमोदन से।

नत्थी 'ख'

(देखिए नत्थी 'ग' के ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

सूची

मोटर व्हीकिल्स रूल्स के नियम 7 तथा राष्ट्रीय ध्वज कोड के अधीन अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती के लिये अधिकृत गणमान्य व्यक्ति :—

(1) राष्ट्रपति

(2) उप राष्ट्रपति

(3) राज्यपाल और उप राज्यपाल

(4) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के अध्यक्ष उन देशों में जहां कि वे नियुक्त हों ।

(5) प्रधान मंत्री और मंत्रि मंडल स्तर के अन्य मंत्री, केन्द्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री राज्यों के मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के स्तर के अन्य मंत्री,
राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री,
संघशासित क्षेत्र के मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के स्तर के अन्य मंत्री,
राज्य मंत्री और उप मंत्री,
दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद और अन्य कार्यकारी पार्षद,

(6) अध्यक्ष, लोक सभा,
उपाध्यक्ष, राज्य सभा,
उपाध्यक्ष, लोक सभा,
राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष,
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के अध्यक्ष,
राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष,
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष,
दिल्ली महानगर परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,

(7) भारत के मुख्य न्यायाधिपति,
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति ।

शासनादेश संख्या-1367टी/30-4, दिनांक 4-4-89 द्वारा अपनी गाड़ियों पर लाल/नीली बत्ती लगाने के लिये प्राधिकृत पदाधिकारी :—

1—मुख्य सचिव-	लाल बत्ती फ्लैग मास्ट पर
2—अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्व परिषद्	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती
3—मण्डलायुक्त/गृह सचिव	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती
4—पुलिस महानिदेशक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती
5—जोनल पुलिस महानिदेशक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती
6—समस्त उप पुलिस महानिदेशक	फ्लैग मास्ट पर नीली बत्ती
7—जिलाधिकारी	नीली फ्लेश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।
8—जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला पुलिस अधीक्षक (जिस जिले में जैसी स्थिति हो) ।	नीली फ्लेश बत्ती गाड़ी के छत के बीच में ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

श्री खान अब्दल बदूद खां, सदस्य, विधान परिषद् के पत्र दिनांक 28-8-89 में इंगित बिन्दुओं पर आख्या–

(1) सर्वेक्षण डायरी के पृष्ठ संख्या-0481643 की तीनों प्रतियां फाड़ी गई ।

(2) केवल एक व्यापारी सर्वश्री मलिक सोप वर्क्स ए/6263 ताल कटोरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, लखनऊ ।

(3) श्री बनवारी लाल कन्छल एवं समूह में उपस्थित 20–22 व्यक्ति, जिनके नाम नहीं ज्ञात थे ।

रिपोर्ट श्री राधे श्याम दीक्षित बिक्रीकर अधिकारी वि0 अनु0 शा0 द्वारा जांच कार्य में उपस्थित निम्न अधिकारियों के हस्ताक्षर से कराई गयी थी 15:–

1–श्री आर0 बी0 अग्रवाल,
स0 आ0 (क0 नि0) लखनऊ ।

2–श्री के0 एल0 आर्य,
बिक्रीकर अधिकारी (सचल दल) लखनऊ ।

3–श्री एस0 पी0 सिंह,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-1, लखनऊ ।

4–श्री आर0 एन0 श्रीवास्तव,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-3, लखनऊ ।

5–श्री आर0 ए0 वर्मा,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-4, लखनऊ ।

6–श्री ओ0 पी0 गुप्ता,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-2, लखनऊ ।

7–श्री बी0 बी0 दीक्षित,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-6, लखनऊ ।

8–श्री मो0 हातिम,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-7, लखनऊ ।

9–श्री सी0 एस0 मिश्रा,
बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-9, लखनऊ ।

(4) इसकी जानकारी पुलिस विभाग से की जानी अपेक्षित है ।

इस संदर्भ में थाना आलमबाग द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 26-11-86 के द्वारा जुर्म समाप्त कर दिया गया है ।

(5) बिक्रीकर अधिकारी (वि0अनु0 शा0) लखनऊ के द्वारा आदेश दिनांक 16-1-87 धारा-15ए-(जे0) के अन्तर्गत सर्वश्री मलिक सोप वर्क्स ताल कटोरा, लखनऊ की फर्म पर रु0 5000/-अर्थदण्ड आरोपित किया गया ।

(6) रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों के आधार पर 10 राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष लिखाई गयी थी । आलमबाग थाने की रिपोर्ट दिनांक 24-3-88 के अनुसार वादी अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिवादी का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

ग्राम प्यावली में दिनांक 23-4-90 को हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को

संलग्नक

दी गई सहायता का विवरण।

क्रमांक	सहायता प्राप्त करने वाले पात्र अग्निपीड़ित व्यक्तियों के नाम	दी गई सहायता (रुपये में) अहेतुक सहायता	गृह अनुदान
1.	श्री महीपाल पुत्र श्री प्यारे लाल	100/-	200/-
2.	श्री रहीस पुत्र श्री चिरंजी लाल	200/-	200/-
3.	श्री छन्नू सिंह पुत्र श्री चिरंजी लाल	200/-	200/-
4.	श्री जयनरायन पुत्र श्री दुर्गा दास अहीर	200/-	200/-
5.	श्री निवास पुत्र श्री भूप सिंह	200/-	200/-
6.	श्री रघुराज पुत्र श्री नेकराम	—	200/-
7.	श्री छत्रपाल सिंह पुत्र श्री घमंडी सिंह	—	200/-
8.	श्री तिलक सिंह पुत्र श्री प्यारे लाल	100/-	200/-
9.	श्री तेज सिंह पुत्र श्री पूरध सिंह गड़रिया	100/-	200/-
	योग—	1100	1800

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43 पर)

संलग्नक

जनपद अलीगढ़ के ग्राम गोवली में दिनांक 20-4-90 को घटित अग्निकाण्ड से प्रभावित पात्र लोगों को वितरित सहायता का विवरण।

क्रमांक	पात्र व्यक्ति का नाम	दी गई सहायता (रुपयों में) अहेतुक सहायता/	गृह अनुदान
1.	श्री शंकर सिंह	400/-	200/-
2.	श्री सूरजपाल सिंह	500/-	200/-
3.	श्री धूरी सिंह	400/-	200/-
4.	श्री पन्ना लाल	400/-	—
5.	श्री रोहिताश सिंह	200/-	—
6.	श्री देवी राम	200/-	—
7.	श्री फतेह सिंह	200/-	—
		2300/-	600/-

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री नवाब सिंह को रु0 500 की तकावी दी गई।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

संलग्नक

आंधी व तूफान से प्रभावित ग्रामों की सूची
तहसील-सगड़ी, जनपद—आजमगढ़

क्र0सं0	नाम ग्राम	क्र0सं0	नाम ग्राम
1.	सियरहा	30.	मुहम्मदपुर जमीन मुहम्मदपुर
2.	रग्घूपुर	31.	जमीन खरखोरी
3.	नरोत्तमपुर पटवारी	32.	बरहपुर
4.	परानपुर	33.	जमसर
5.	जुड़ारामपुर	34.	लुचुई
6.	परतापीपुर	35.	सोकहना आइमा
7.	ससना विश्वनाथपुर	36.	इसरहा
8.	देवनपुर	37.	सोकहना
9.	मोतीपुर	38.	विजयापार
10.	अवसानपुर	39.	चलाकपुर
11.	गोपालपुर	40.	खानपुर भगतपट्टी
12.	सरदहा	41.	दोजी धौरहरा
13.	मेउड़िया	42.	सलाउद्दीन पट्टी
14.	वरियापुर	43.	बर्नापुर जगदीशपुर
15.	जुड़ा खुर्द	44.	अलाउद्दीन पट्टी
16.	जमालपुर	45.	सहाबुद्दीनपुर
17.	महरूपुर	46.	पलिया
18.	चकजुलेखा	47.	हिरनई गुल्लीगढ़
19.	सेवराकुण्ड	48.	पिपरहा
20.	कल्यानपुर	49.	पड़रीपरानपुर
21.	महावतगढ़	50.	पारा
22.	वासूपार बनकट	51.	रसूलपुर नन्दलालपुर
23.	अन्नतपुर	52.	पतिलागांसपुर
24.	चकलालचन्द	53.	वारी
25.	करैला	54.	जयराजपुर
26.	गडेरी पट्टी	55.	भलुवाई
27.	कसड़ा आइमा	56.	बंदरा
28.	डोरवा	57.	चांदपट्टी
29.	चांदपार	58.	जीयनपुर

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

संलग्नक

श्री यदुनाथ सिंह, माननीय सदस्य के पत्र संख्या–1070 लोकदल दिनांक 11-7-86 में उठाये गये बिन्दु व उन पर संक्षिप्त विभागीय आख्या

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दु	आख्या
1–कि शिकायत की प्राइमरी जांच रपट किस अधिकारी ने किस तिथि तिथि को आयुक्त बिक्रीकर को भेजी और आयुक्त बिक्रीकर ने किस तिथि को निर्णय लिया? श्री टण्डन को किन आरोपों के आधार पर निलम्बित किया गया था?	श्री टण्डन के पास विपुल चल अचल सम्पत्ति की प्राथमिकता जांच रिपोर्ट अप्रैल 1974 में प्राप्त होने पर आदेश दिनांक 4-2-1975 से निलम्बित किया गया। इस मामले में सतर्कता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शासकीय आदेश संख्या-विरक0-1-97/दस-915 (14)/66 दिनांक 25-2-1978 द्वारा इनके विद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा–5(2) के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग चलाने की स्वीकृति दी गयी थी?
2–श्री टण्डन को चार्जशीट क्यों और कैसे किन परिस्थितियों में नहीं दी गयी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है?	प्रश्नगत जांच से सम्बन्धित विवेचना अधिकारी श्री तिलकराम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक का वर्ष 1979 में आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। श्री शर्मा द्वारा की गयी उपरोक्त जांच से सम्बन्धित अभिलेख विधिवत किसी को चार्ज में नहीं दिये जा सके और काफी ढुंढ़वाने के बाद भी सम्बन्धित अभिलेख नहीं उपलब्ध हो सके थे। इसी बीच श्री टण्डन की दिनांक 20-2-1982 को मृत्यु हो गयी, जिस कारण श्री टण्डन के विरुद्ध अभियोजन विषयक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी।
3–श्री टण्डन को दिनांक 4-2-1975 से 31-5-1980 तक की अवधि के लिए कितना वेतन मय भत्तों के दिया गया जबकि इस अवधि में उन्होंने कोई सरकारी कार्य नहीं किया। क्या इसको बचाया जा सकता था? यदि हां, तब क्यों नहीं बचाया गया?	श्री टण्डन को दिनांक 4-2-1975 से 31-5-1980 तक की अवधि का पूर्ण वेतन व भत्ते दिये जाने के आदेश दिनांक 24-1-83 के आदेशों द्वारा किये गये, जिसका भुगतान उनके परिवार को किया गया। नियमानुसार मृतक कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।